



सत्यमेव जयते

पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर
वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन
वर्ष 2014 – 15 के लिए



हरियाणा सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा



सत्यमेव जयते

पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर
वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन
वर्ष 2014 – 15 के लिए



हरियाणा सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
ओवरव्यू		vii
भाग क: पंचायती राज संस्थाएं		
अध्याय 1		
पंचायती राज संस्थाओं का प्रोफाइल		
प्रस्तावना	1.1	1
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.2	1
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा	1.3	3
वित्तीय प्रोफाइल	1.4	5
लेखांकन व्यवस्था	1.5	7
लेखापरीक्षा व्याप्ति	1.6	7
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुच्छेद	1.7	7
अध्याय 2		
पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम		
इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासीय इकाइयों को पूर्ण न करना	2.1	9
मजदूरियों का भुगतान करने में विलंब	2.2	9
भूतपूर्व सरपंचों और पंचों से बकाया शेषों की वसूली न करना	2.3	10
भूमि का अप्राधिकृत स्वामित्व/अतिक्रमण	2.4	11
उपयोगिता प्रमाण - पत्र के अप्रस्तुतिकरण	2.5	11
गृह कर के बकाया	2.6	12
भाग ख: शहरी स्थानीय निकाय		
अध्याय 3		
शहरी स्थानीय निकायों का प्रोफाइल		
शहरी स्थानीय निकायों की पृष्ठभूमि	3.1	13
लेखापरीक्षा व्यवस्था	3.2	13
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा	3.3	14
वित्तीय प्रोफाइल	3.4	16

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
लेखांकन व्यवस्था	3.5	17
लेखापरीक्षा व्याप्ति	3.6	18
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा पैराग्राफस	3.7	18
अध्याय 4		
शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम		
एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा	4.1	19
विकास शुल्क की वसूली न करना	4.2	32
बेकार मशीनरी	4.3	32
किराया प्राप्तियों पर सेवा कर की अवसूली	4.4	33
निधियों का विपथन	4.5	34
चैक के डिसऑनर के कारण राजस्व की अवसूली	4.6	34
सेवा प्रदाताओं द्वारा साविधिक देयताओं का निर्वहन सुनिश्चित किए बिना भुगतान	4.7	35
मस्टर रोलज का गलत रख-रखाव	4.8	36
ठेकेदारों को अनुचित लाभ	4.9	36
सोसाइटी को अदेय लाभ	4.10	37
अनुदानों की उपयोगिता के लिए तेरहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना	4.11	38

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	अनुच्छेद
1.	राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में लगाए गए स्टॉफ (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) की स्थिति	1.3.2	41
2.	राज्य में जिला परिषदों में लगाए गए स्टॉफ (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) की स्थिति	1.3.2	42
3.	नमूना-जांच की गई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की सूची	1.6	43
4.	मनरेगा के अंतर्गत मजदूरियों के भुगतान में विलंब दर्शाने वाली विवरणी	2.2	44
5.	पूर्व सरपंचों/पंचों से वसूलनीय राशि दर्शाने वाले विवरण	2.3	45
6.	पंचायत भूमि का अप्राधिकृत स्वामित्व/अतिक्रमण दर्शाने वाली विवरणी	2.4	46
7.	पी.आर.आई.ज को जारी एफ.सी.- XIII अनुदानों के संबंध में प्राप्त और लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र दर्शाने वाली विवरणी	2.5	47
8.	उन व्यक्तियों, जिन्हें डी.पी.आर.ज में संस्वीकृति नहीं दी गई थी, को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.1.7.3	48
9.	मूलभूत संरचना विकास के लिए प्राप्त तथा व्यय की गई निधियों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.1.8.1	50
10.	विकास शुल्क की अवसूली के विवरण	4.2	52
11.	एकत्रित नहीं किए गए सेवा कर के विवरण	4.4	53
12.	अमान्य चैकों तथा आवेष्टित राशि के म्यूनिसिपैलिटी-वार मामले दर्शाने वाली विवरणी	4.6	54
13.	स्वच्छता ठेकेदार को किए गए भुगतानों के म्यूनिसिपैलिटी-वार विवरण	4.7	55
14.	म्यूनिसिपैलिटीज को एफ.सी.- XIII अनुदानों के विलंब से अन्तरण के कारण देय ब्याज दर्शाने वाली विवरणी	4.11 (i)	56
15.	एफ.सी.- XIII अनुदानों के संबंध में प्राप्त तथा लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र दर्शाने वाली विवरणी	4.11 (ii)	57

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.जे.) तथा शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.जे.) की लेखापरीक्षा हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग के निबंधनों के अनुसार हरियाणा सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की संबंधित विभागों सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रतिवेदन में शामिल हैं।

2014 - 15 की अवधि हेतु नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामलों के साथ-साथ वे मामले भी, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे किंतु पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे, जहां कहीं आवश्यक थे, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

यह रिपोर्ट दो भागों में है और इसमें चार अध्याय हैं। अध्याय 1 और 2 से समायुक्त भाग-क, पंचायती राज संस्थाओं तथा अध्याय 3 और 4 से समायुक्त भाग-ख, शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) का प्रोफाइल

वर्तमान में, राज्य में 21 जिला परिषद (जि.प.), 126 पंचायत समितियां (पं.स.) और 6,083 ग्राम पंचायतें (ग्रा.प.) हैं। पी.आर.आई. का समग्र नियंत्रण निदेशक, विकास और पंचायत विभाग तथा निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से अपर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के पास है। 73वें संवैधानिक संशोधन ने पी.आर.आई. को संवैधानिक दर्जा दिया तथा राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाया तथा इन संस्थाओं को, सरकार के तीसरे स्तर के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 तथा हरियाणा पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान तथा निर्माण कार्य) नियम, 1996 बनाए। 4 जिला परिषदों, 24 पंचायत समितियों और 150 ग्राम पंचायतों के 2007-14 की अवधि के लेखाओं के अभिलेखों की नमूना-जांच वर्ष 2014-15 के दौरान की गई।

(अध्याय 1)

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

- चार ब्लॉकों में, 347 लाभग्राहियों, जिन्हें इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत ₹ 85.90 करोड़ की सहायता दी गई थी, ने अपनी आवासीय इकाइयां पूर्ण नहीं की थी।

(अनुच्छेद 2.1)

- आठ ब्लॉकों में मनरेगा के अंतर्गत ₹ 4.80 करोड़ की राशि की मजदूरी के भुगतान में विलंब 15 तथा 90 दिनों से अधिक के मध्य था।

(अनुच्छेद 2.2)

- चार ब्लॉकों में 15 भूतपूर्व सरपंचों तथा पंचों से ₹ 19.40 लाख की राशि वसूल नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.3)

- पांच खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (बी.डी.पी.ओ.) के अंतर्गत 27 ग्राम पंचायतों में ₹ 50.30 करोड़ मूल्य की 379.04 एकड़ भूमि अप्राधिकृत अधिकार/अतिक्रमण के अधीन थी।

(अनुच्छेद 2.4)

शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बीज) का प्रोफाइल

वर्तमान में राज्य में 9 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 50 नगरपालिकाएं हैं। यू.एल.बी. का समग्र नियंत्रण निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी विकास विभाग के पास है। 74वें संवैधानिक संशोधन ने यू.एल.बी. को संवैधानिक दर्जा दिया। 74वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु यू.एल.बी. को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगर अधिनियम, 1973 बनाए। 25 यू.एल.बी. (5 नगर निगमों, 6 नगर परिषदों और 14 नगरपालिकाओं) के अभिलेखों की वर्ष 2014-15 के दौरान नमूना-जांच की गई थी। इसके अतिरिक्त, एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गई।

(अध्याय 3)

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

- “एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम” की निष्पादन लेखापरीक्षा ने इसके साथ-साथ निम्नलिखित प्रकट किया:

- यद्यपि, परियोजनाएं दिसंबर 2013 में समाप्त कर दी गईं, हुडा को घरों के निर्माण के लिए प्रदान की गई ₹ 9.54 करोड़ की सहायता वसूल नहीं की गई।

(अनुच्छेद 4.1.6.3)

- स्कीम निधियों पर ₹ 6.31 करोड़ की राशि के अर्जित ब्याज इसकी उपयोगिता के लिए नीति के अभाव के कारण अवरूद्ध पड़े थे।

(अनुच्छेद 4.1.6.4)

- 16,803 घरों के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध, केवल 9,597 घर (57 प्रतिशत) निर्मित किए गए और 6,476 घरों का निर्माण रद्द कर दिया गया।

(अनुच्छेद 4.1.7.1)

- आठ परियोजनाओं में 1,667 लाभग्राहियों की संस्वीकृत संख्या के आधिक्य में 2,064 व्यक्तियों को ₹ 16 करोड़ की सबसिडी प्रदान की गई थी।

(अनुच्छेद 4.1.7.3)

- सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी और राज्य स्तर पर मानीटरिंग प्रभावी नहीं थी।

(अनुच्छेद 4.1.9.1 और 4.1.9.2)

- दस नगर पालिकाओं ने नागरिक सुविधाओं तथा मूलभूत संरचना की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्रों के रूप में घोषित 135 कालोनियों के भवन मालिकों से ₹ 108.40 करोड़ की राशि के विकास प्रभार वसूल नहीं किए थे।

(अनुच्छेद 4.2)

- नगर निगम पंचकूला तथा नगरपालिका कलायत में क्रमशः ₹ 57.43 लाख तथा ₹ 37.59 लाख लागत की सैनीटेशन मशीनरी पांच वर्षों से बेकार पड़ी थी।

(अनुच्छेद 4.3)

- छः नगरपालिकाएं, दुकानों/बूथों के किराए की प्राप्ति पर ₹ 1.17 करोड़ का सेवाकर उद्ग्रहण करने में विफल रहीं।

(अनुच्छेद 4.4)

- चार नगरपालिकाओं द्वारा, विकास कार्यों के लिए प्रदान की गई ₹ 2.67 करोड़ की निधियां वेतनों, मजदूरियों, लेखापरीक्षा फीस इत्यादि के भुगतान के लिए विपश्चित की गई थी।

(अनुच्छेद 4.5)

- दो नगरपालिकाओं ने, तीन सेवा प्रदाताओं को उनके द्वारा सांविधिक देयताओं का निर्वहन सुनिश्चित किए बिना ₹ 4.47 करोड़ का भुगतान किया।

(अनुच्छेद 4.7)

भाग कः पंचायती राज संस्थाएं

भाग – क: पंचायती राज संस्थाएं

अध्याय 1

पंचायती राज संस्थाओं का प्रोफाइल

1.1 प्रस्तावना

73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को संवैधानिक दर्जा दिया और समरूप ढांचे, नियमित चुनावों तथा वित्त आयोगों के माध्यम से निधियों के नियमित प्रवाह की प्रणाली स्थापित की। अनुवर्ती कार्यवाई के रूप में राज्यों द्वारा इन निकायों को ऐसी शक्तियां, कार्य और दायित्व सौंपने अपेक्षित थे ताकि ये स्थानीय स्वयं शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ हों। विशेष रूप से, पी.आर.आई. द्वारा भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल योजनाओं सहित आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु योजनाएं तैयार करना और स्कीमों को कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित था।

राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाया और हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 और हरियाणा पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, लेखापरीक्षा, कराधान और निर्माण कार्य) नियम, 1996 तैयार किए ताकि ये संस्थाएं सरकार के तृतीय स्तर के रूप में कार्य करने में समर्थ हो सकें। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) और पंचायती राज मंत्रालय (एम.ओ.पी.आर.), भारत सरकार (भा.स.) द्वारा यथा निर्धारित लेखांकन ढांचा राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया है तथा वार्षिक लेखे (प्राप्तियां और व्यय) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तदनुसार अनुरक्षित किए जाने हैं।

1.2 लेखापरीक्षा व्यवस्था

निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (एल.ए.डी.), हरियाणा एक साविधिक लेखापरीक्षक है तथा पी.आर.आई. इकाइयों की लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा करने के पश्चात् निरीक्षण रिपोर्टें (आई.आर.) संबंधित पी.आर.आई. को जारी की जाती हैं। आई.आर. जारी होने के बाद पी.आर.आई. द्वारा उत्तर दिए जाने होते हैं।

ग्याहर्वें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) द्वारा सिफारिश की गई कि पी.आर.आई. के सभी तीनों श्रेणियों/स्तरों हेतु लेखाओं के समुचित अनुरक्षण तथा उनकी लेखापरीक्षा पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व सी.ए.जी. को सौंपा जाना चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) ने आगे सिफारिश की कि राज्य विधान सभा के सम्मुख सी.ए.जी. की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। टी.एफ.सी. की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पी.आर.आई. की नमूना-लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंप दी (अगस्त 2008)। राज्य सरकार ने आगे अधिसूचित किया (दिसंबर 2011) कि सी.ए.जी. के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (ए.टी.आई.आर.) तथा स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (एल.ए.डी.) के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किए जाएंगे। चौदहवें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) ने भी सिफारिश की कि सी.ए.जी. द्वारा

निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता (टी.जी.एस.) व्यवस्थाएं जारी रखी जानी चाहिए तथा लेखाओं का संकलन और समय पर उनकी लेखापरीक्षा करवाने के लिए स्थानीय निकायों को सुविधा प्रदान करने हेतु राज्यों को कार्रवाई करनी चाहिए।

राज्य सरकार ने 6 सितंबर 2013, 10 मार्च 2015 तथा 4 सितंबर 2015 को राज्य विधानसभा के समक्ष क्रमशः वर्ष 2009-11, 2011-13 तथा 2013-14 के ए.टी.आई.आर. प्रस्तुत करके तत्रैव अधिसूचना की शर्तों का पालन किया है। स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग का वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष 25 मार्च 2015 को प्रस्तुत किया गया था। ए.टी.आई.आर. पर चर्चा करने के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं पर एक पृथक समिति का गठन भी किया गया है (मई 2014)।

सी.ए.जी., पंचायती राज संस्थाओं में सार्वजनिक वित्त प्रबंध तथा उत्तरदायिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पी.आर.आई. के प्राइमरी एक्सटर्नल लेखापरीक्षक अर्थात् स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (सांविधिक लेखापरीक्षक) को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता (टी.जी.एस.) प्रदान कर सकते हैं। ऐसे टी.जी.एस. के मापदण्ड, सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) एक्ट, 1971 की धारा 23 के अंतर्गत भारत के सी.ए.जी. द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2007 की धारा 152 से 154 में दिए गए हैं।

स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (एल.ए.डी.) को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने के कार्य के अनुसरण में इस कार्यालय ने निम्नलिखित उत्तरदायित्व लिया है:

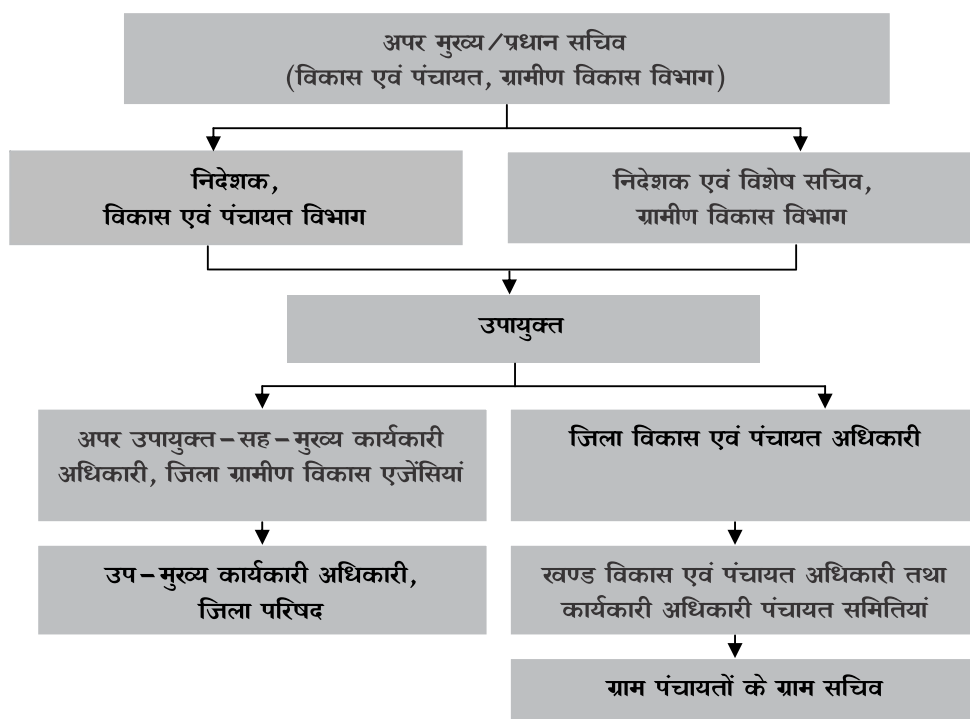
- प्राथमिक लेखापरीक्षक ने स्कीमों की लेखापरीक्षा करने के लिए राज्य सरकार को एक परामर्श जारी किया (मार्च 2014) क्योंकि यद्यपि स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग, स्थानीय निकायों द्वारा सृजित निधियों (अपना राजस्व) की नियमित लेखापरीक्षा कर रहा है, पी.आर.आई./यू.एल.बी. की विभिन्न स्कीमों (राज्य और केंद्र) की लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी। प्रतिक्रिया में एल.ए.डी. ने पी.आर.आई. की स्कीमों (राज्य के साथ-साथ केंद्रीय प्रायोजित) की लेखापरीक्षा शुरू कर दी थी (अप्रैल 2015)।
- रिपोर्टिंग प्रणाली में अपेक्षित सुधार हेतु सुझाव देने के लिए एल.ए.डी. के दस¹ लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण नोट चयन किए गए थे। यह सुझाव दिया गया कि एक सुगठित रिपोर्टिंग फोरमेट का अनुसरण किया जाए जिसमें प्रस्तावना, सही तथा उपयुक्त आदेश/नियम बताते हुए साक्ष्य के साथ मामले के तथ्य, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां बनाना, लेखापरीक्षित इकाई का उत्तर शामिल करना और निष्कर्ष निकालना तथा अनुशंसाएं शामिल हों।

¹ (i) पंचायत समितियां बाधरा (ii) खोल तथा (iii) करनाल (iv) जिला परिषद, करनाल तथा (v) रोहतक (vi) नगरपालिका पिंजौर (vii) नारनौद (viii) रतिया (ix) उचाना तथा (x) फिरोजपुर झिरका।

- तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण अवयव है। इसके अनुसारण में इस कार्यालय ने अगस्त 2015 में 'यू.एल.बीज लेखापरीक्षा, पी.आर.आई. लेखापरीक्षा से संबंधित मुद्दों' तथा 'चौदहवें वित्त आयोग और टी.जी.एस. से संबंधित मुद्दों' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
- स्थानीय निकायों के वार्षिक लेखाओं पर एल.ए.डी. द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फॉर्मेट, पी.आर.आई.जे. के लेखापरीक्षा प्रमाणन हेतु दिशानिर्देश तथा पी.आर.आई.जे. के लिए अपनाए जाने वाले लेखांकन मानक भी एल.ए.डी. को सुझाए गए थे (नवंबर 2015)।

1.3 पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा

राज्य में 21 जिला परिषदें, 126 पंचायत समितियां और 6,083 ग्राम पंचायतें हैं। जिला परिषद् (जैड.पी.), पंचायत समिति (पी.एस.) और ग्राम पंचायत (जी.पी.) स्तर पर राज्य सरकार, पंचायती राज विभाग और पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा नीचे दर्शाया गया है:



जिला परिषद् के अध्यक्ष, पंचायत समिति के सभापति और ग्राम पंचायत के सरपंच चुने गए सदस्य होते हैं तथा क्रमशः जिला परिषद्, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के मुखिया होते हैं।

1.3.1 स्थाई समितियां

पी.आर.आई. ने सौंपे गए कार्यों को करने के लिए स्थाई समितियां गठित कीं। पी.आर.आई. की स्थाई समितियों के ब्यौरे तालिका 1 में दिए गए हैं।

तालिका 1: स्थाई समितियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

पी.आर.आई. का स्तर	स्थायी समिति का मुख्य	स्थायी समितियों के नाम	स्थायी समिति की भूमिका तथा उत्तरदायित्व
पंचायत समिति	सभापति	सामान्य स्थाई समिति	स्थापना मामलों, संचार, भवन, ग्रामीण आवास, ग्राम विस्तार, राहत इत्यादि विषयों को देखती है।
		वित्त, लेखापरीक्षा और आयोजना समिति	पंचायत समिति के वित्त, बजट तैयार करना और सहकारिता, लघु बचत योजना तथा खंड की विकास योजना से संबंधित किसी अन्य कार्य को देखती हैं।
		सामाजिक न्याय समिति	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान तथा अन्य हितों को देखती है।
ग्राम पंचायत	सभापति	उत्पादन उप-समिति	कृषि उत्पादन, पशुपालन, ग्रामीण उद्योगों तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को देखती है।
		सामाजिक न्याय उप-समिति	अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों तथा अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा के प्रोत्साहन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, खेलों तथा अन्य हितों तथा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के प्रोत्साहन को देखती है।
		उप-समिति	ग्राम पंचायत की उप-समितियों के शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, लोक निर्माण कार्यों तथा अन्य कार्यों को देखती है।

1.3.2 स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं

पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) के पास तकनीकी तथा गैर-तकनीकी स्टाफ है। 5,156 संस्वीकृत पदों के विरुद्ध 1,560 पद (जूनियर इंजीनियर: 107; लिपिक: 167; ड्राईवर: 35, ग्राम सचिव: 435 और अन्य: 816) 31 मार्च 2015 को रिक्त थे (परिशिष्ट 1) तथा जिला परिषद् (पी.आर.आई.) में 290 संस्वीकृत पदों के विरुद्ध 208 पद रिक्त थे (परिशिष्ट 2)।

1.3.3 कार्यों की सुपुर्दगी

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 में पी.आर.आई. को निधियों, कार्यों और कार्यकर्त्ताओं की सुपुर्दगी का विचार किया गया है ताकि उन्हें वित्तीय रूप से समर्थ तथा स्वायत्त बनाया जा सके। राज्य ने संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 कार्यों में से 20 कार्य पी.आर.आई. को सौंपे हैं जैसा कि तालिका 2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2: पी.आर.आई. को सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	पी.आर.आई. को सौंपे गए तथा हस्तांतरित विषय
1.	कृषि, कृषीय विस्तार सहित
2.	भूमि उन्नयन, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि समेकन तथा मृदा संरक्षण
3.	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन तथा वाटर शैड विकास
4.	पशुपालन, डेयरी तथा पोल्ट्री
5.	सामाजिक, वानिकी तथा फार्म वानिकी
6.	लघु वन उत्पाद
7.	ग्रामीण आवास
8.	पेयजल
9.	ईंधन एवं चारा
10.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
11.	शिक्षा, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों सहित
12.	पुस्तकालय
13.	बाजार तथा मेले
14.	स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरियों सहित
15.	परिवार कल्याण
16.	महिला एवं बाल विकास
17.	समाज कल्याण, दिव्यांगों तथा मानसिक रूप से विकृष्टों के कल्याण सहित
18.	कमजोर वर्गों का कल्याण तथा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों का
19.	सार्वजनिक संवितरण प्रणाली
20.	सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख-रखाव

1.4 वित्तीय प्रोफाइल

1.4.1 पी.आर.आई. को निधि प्रवाह

पी.आर.आई. में निधि का स्रोत और अभिरक्षा

पी.आर.आई. के संसाधन आधार में स्वयं का राजस्व, राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी) अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग (सी.एफ.सी) अनुदान, राज्य सरकार के अनुदान और केन्द्रीय सरकार के अनुदान शामिल हैं। पी.आर.आई. द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य अनुदान, भारत सरकार (भा.स.) तथा राज्य सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि पी.आर.आई. की अपनी प्राप्तियां पी.आर.आई. द्वारा निर्मित स्कीमों/कार्यों के निष्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं। मुख्य स्कीमों के लिए निधि प्रवाह प्रबंध तालिका 3 में दिए गए हैं:

तालिका 3: प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में निधि प्रवाह प्रबंध

क्र.सं.	स्कीम	निधि प्रवाह प्रबंध
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	भारत सरकार तथा राज्य सरकार मनरेगा निधियों के अपने संबंधित हिस्से राज्य रोजगार गारंटी निधि (एस.ई.जी.एफ.) नामक बैंक खाते में अंतरित करते हैं जिसे राज्य खातों से अलग रखा जाता है। राज्य रोजगार गारंटी निधि से निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.), बी.डी.पी.ओ. तथा जी.पी. को जारी की जाती हैं।
2	इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	इंदिरा आवास योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में लागत-हिस्सा आधार पर निधिबद्ध एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। निधियां संबंधित डी.आर.डी.ए. के माध्यम से दो किशतों में सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित कर दी जाती हैं। दूसरी किशत निर्माण कार्य के लिंटल स्तर तक पहुंचने के बाद जारी की जाती है।
3	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)	परियोजना की कुल लागत केंद्र तथा राज्य में 75: 25 अनुपात में शेयर की जाती है। निधियां संबंधित डी.आर.डी.ए. द्वारा बी.डी.पी.ओ. के माध्यम से सीधे लाभग्राहियों को जारी की जाती हैं।
4	पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान (टी.एस.सी.)/एम.बी.ए.	इस स्कीम के अंतर्गत निधियों का हिस्सा क्रमशः केंद्र, राज्य तथा समुदाय के बीच 60:30:10 के अनुपात में किया जाता है। भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति पर ग्रामीण विकास विभाग (आर.डी.डी.) द्वारा डी.आर.डी.ए. को वह मैचिंग हिस्से के साथ जारी कर दी जाती है। संबंधित ग्राम पंचायत बी.डी.पी.ओ. को आवश्यक विवरणों के साथ लाभग्राहियों के बारे में सूचना प्रदान करती है, तदुपरांत डी.आर.डी.ए. लाभग्राहियों के खाते में सहायता जारी करता है।

1.4.2 निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए पी.आर.आई. की निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता के विवरण तालिका 4 में दिए गए हैं।

तालिका 4: पी.आर.आई. की निधियों के स्रोतों तथा उपयोगिता पर टाइम सीरीज डाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	आर.	ई.	आर.	ई.	आर.	ई.	आर.	ई.	आर.	ई.
स्वयं का राजस्व	150.00	150.00	211.80	211.80	228.00	228.00	259.65	259.65	258.00	258.00
सी.एफ.सी. अंतरण (केंद्रीय वित्त आयोग सुपुर्दगियां)	101.16	101.16	170.48	170.48	246.39	246.39	291.24	291.24	284.06	284.06
सी.एफ.सी. अंतरण (राज्य वित्त आयोग सुपुर्दगियां)	76.66	76.66	143.00	143.00	171.86	171.86	213.39	213.39	199.99	199.99
सी.एस.एस. के लिए अनुदान (केंद्र तथा राज्य हिस्सा)	429.95	446.22	560.09	579.48	626.72	631.88	825.72	577.19	508.03	421.69
राज्य स्कीमों के लिए राज्य सरकार के अनुदान	208.04	208.04	304.56	304.56	351.47	351.47	367.92	306.44	340.15	340.15
कुल	965.81	982.08	1389.93	1409.32	1624.44	1629.60	1957.92	1647.91	1590.23	1503.89

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, हरियाणा।

नोट: आर.: प्राप्ति तथा ई.: व्यय।

जैसा कि उपर्युक्त से यह स्पष्ट है, वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 1,590.23 करोड़ के स्रोतों के विरुद्ध निधियों की उपयोगिता ₹ 1,503.89 करोड़ थी। बचतें मुख्यतः केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदानों के अंतर्गत थी।

1.5 लेखांकन व्यवस्था

उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषदों के लेखाओं के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होता है, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी -सह-कार्यकारी अधिकारी लेखाकार की सहायता से पंचायत समितियों (पी.एस.) के लेखाओं का रख-रखाव करता है जबकि ग्राम सचिव/सैक्रेटरी ग्राम पंचायतों के लेखाओं का रख-रखाव करता है।

राज्य सरकार ने अप्रैल 2010 से मॉडल एकाऊंटिंग स्ट्रक्चर 2009 को अपनाया है, जिसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के परामर्श से पंचायती राज मंत्रालय (एम.ओ.पी.आर.) द्वारा विकसित किया गया है। निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि पी.आर.आई.जे. के सभी स्तर अपने लेखाओं का रख-रखाव प्रियासॉफ्ट में कर रहे हैं। प्रियासॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है जोकि मॉडल एकाऊंटिंग स्ट्रक्चर 2009 पर आधारित है।

1.6 लेखापरीक्षा व्याप्ति

21 में से चार² जिला परिषदों, 126 में से 24 पंचायत समितियों और 6,083 में से 150 ग्राम पंचायतों के 2007-14 की अवधि के लेखाओं के अभिलेखों की वर्ष 2014-15 के दौरान नमूना-जांच की गई थी (परिशिष्ट 3)। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों पर अध्याय-2 में चर्चा की गई है।

1.7 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुच्छेद

पी.आर.आई. द्वारा, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई.आर.) में शामिल अभ्युक्तियों की अनुपालना किया जाना तथा त्रुटियों/चूकों का सुधार किया जाना और उनकी अनुपालना सूचित किया जाना अपेक्षित है।

मार्च 2015 तक जारी किए गए, समायोजित किए गए तथा बकाया निरीक्षण रिपोर्ट तथा पैराओं के विवरण तालिका 5 में दर्शाए गए हैं:

² (i) पानीपत, (ii) फतेहाबाद, (iii) हिसार तथा (iv) झज्जर।

तालिका 5: पी.आर.आई. की बकाया निरीक्षण रिपोर्टें

क्र. सं.	निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने का वर्ष	बकाया लेखापरीक्षा आपत्ति का आरंभिक शेष		जमा		कुल		समायोजित निरीक्षण रिपोर्टों/पैराओं की संख्या		31 मार्च 2015 को बकाया निरीक्षण रिपोर्टों/पैराओं की संख्या	
		निरीक्षण रिपोर्ट	पैरे	निरीक्षण रिपोर्ट	पैरे	निरीक्षण रिपोर्ट	पैरे	निरीक्षण रिपोर्ट	पैरे	निरीक्षण रिपोर्ट	पैरे
1.	2009-10	-	-	51	459	51	459	4	38	47	421
2.	2010-11	47	421	45	371	92	792	-	31	92	761
3.	2011-12	92	761	43	301	135	1062	-	7	135	1055
4.	2012-13	135	1055	36	241	171	1296	-	3	171	1293
5.	2013-14	171	1293	63	452	234	1745	-	-	234	1745
	2014-15	234	1745	43	307	277	2052	09	149	268	1903
कुल				281	2131			13	228		

आई.आर.ज/अनुच्छेदों का निपटान नगण्य था। लंबित आई.आर.ज/अनुच्छेदों की संख्या में बृहद् वृद्धि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को दूर करने के लिए उचित ध्यान तथा प्रभावी कार्रवाई की कमी की सूचक है और यह उत्तरदायिता को कम करती है।

अध्याय 2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

2.1 इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासीय इकाइयों को पूर्ण न करना

प्रत्येक लाभग्राही को आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए दो किश्तों में ₹ 45,000 की सहायता प्रदान की जाती है। लिंटल स्तर तक निर्माण कार्य के सत्यापन के बाद, दूसरी किश्त बी.डी.पी.ओ. द्वारा जारी की जाती है। आगे, स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य मुख्यालय, जिला, उप मंडल तथा खंड स्तरों पर आई.ए.वाई. में लगे हुए अधिकारियों को कार्यस्थलों के निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यक्रम सही ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। किसी भी मामले में आवासीय इकाई की पूर्णता में दो वर्ष से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि चार खंडों में 2007-13 के दौरान 347 लाभग्राहियों को ₹ 85.90 लाख की राशि (निम्न तालिका) प्रथम किश्त के रूप में जारी की गई थी तथा इन लाभग्राहियों ने अपनी आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण नहीं किया था।

आई.ए.वाई. लाभग्राहियों, जिन्हें प्रथम किश्त जारी की गई थी, को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	बी.डी.पी.ओ. का नाम	लाभग्राहियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	वर्ष, जिनमें पहली किश्त वितरित की गई
1.	टोहाना	25	5.40	2007 - 11
2.	फतेहाबाद	87	21.75	2010 - 13
3.	भट्टू कलां	67	16.75	2010 - 13
4.	रतिया	168	42.00	2010 - 13
	कुल	3 47	85.90	

बी.डी.पी.ओ., टोहाना ने बताया (सितंबर 2015) कि दूसरी किश्त जारी नहीं की जा सकी क्योंकि लाभग्राहियों ने इसे जारी करने के लिए आवेदन नहीं दिया था। तथापि, तथ्य रहता है कि स्कीम की मॉनीटरिंग अपर्याप्त थी जिसके कारण दो वर्षों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बावजूद आवासीय इकाइयां पूर्ण नहीं की गई थी तथा स्कीम का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभाग के पास भेजा गया था (जून 2014 से जनवरी 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

2.2 मजदूरियों का भुगतान करने में विलंब

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 3(3) प्रावधान करती है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के अंतर्गत कामगार को मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी मामले में उस तारीख, जब ऐसा कार्य किया गया था, के बाद अधिकतम पाक्षिक आधार पर किया जाएगा। आगे, मनरेगा दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि

भुगतान, देय होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए या जब प्राप्तकर्ता मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के लिए हकदार होगा।

फतेहाबाद जिले में तीन¹ बी.डी.पी.ओ. के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 30,914 मामलों में ₹ 3.97 करोड़ की राशि की मजदूरी का भुगतान करने में विलंब था। 2012-14 के दौरान विलंब 15 तथा 90 दिनों से अधिक के मध्य रहा (परिशिष्ट 4)। इसी प्रकार, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.), झज्जर के अभिलेखों की संवीक्षा ने भी प्रकट किया कि 3,341 मामलों में ₹ 83.30 लाख की राशि की मजदूरी का भुगतान करने में विलंब था। 2012-14 के दौरान पांच² खण्डों के संबंध में विलंब 15 तथा 90 दिनों से अधिक के मध्य रहा (परिशिष्ट 4)।

अपर उप-आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा, फतेहाबाद ने बताया (जुलाई 2015) कि निधियों की अनुपलब्धता के कारण श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जा सका। इसी प्रकार, अपर उप-आयुक्त-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी.आर.डी.ए., झज्जर ने बताया (अप्रैल 2016) कि किसी भी श्रमिक को मजदूरी मुआवजा नहीं दिया गया था क्योंकि समय पर भुगतान करने के लिए जिले को निधियां जारी नहीं की गई थी। तथ्य रहता है कि दिशानिर्देशों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा कार्यान्वयन करने वालों को, प्राप्तकर्ताओं को भुगतान करने या मजदूरी, जिसका भुगतान नहीं किया गया था, का भुगतान करने में विलंब के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए निधियां सुनिश्चित करनी चाहिए।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभाग के पास भेजा गया था (जून 2014 से जनवरी 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

2.3 भूतपूर्व सरपंचों और पंचों से बकाया शेषों की वसूली न करना

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18(1) के अनुसार सरपंच अथवा पंच, ग्राम पंचायत (जी.पी.) की चल और अचल संपत्ति की अभिरक्षा और प्रभार के लिए उत्तरदायी होंगे। अधिनियम की धारा 18(2) में प्रावधान है कि खंड विकास और पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.) जी.पी. के चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन से सात दिन पूर्व की अवधि में या पंच और सरपंच के निलंबन या बर्खास्तगी की स्थिति में, उस व्यक्ति को, जिसे रिकार्ड तथा संपत्ति की अभिरक्षा के लिए प्राधिकृत किया गया है, अभिलेखों, रजिस्टर तथा अन्य संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए आदेश दे सकता है। आगे, यदि कोई व्यक्ति, अधिनियम की धारा 18(1) अथवा धारा 18(2), जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत बी.डी.पी.ओ. द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को अभिलेख अथवा संपत्ति हस्तांतरित करने में विफल रहता है तो बी.डी.पी.ओ., उस व्यक्ति से ऐसे अभिलेख तथा संपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यकारी मैजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा ताकि यह प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपी जा सके {धारा 18 (3)}।

¹ भूना, टोहाना तथा फतेहाबाद।

² बहादुरगढ़, बेरी, झज्जर, मातनहेल तथा साल्हावास।

तीन जिलों में चार बी.डी.पी.ओज के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 19.40 लाख की राशि के नकद शेष, 15 भूतपूर्व सरपंचों/पंचों (परिशिष्ट 5) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अर्थात् सरपंच या पंच, सामाजिक शिक्षा पंचायत अधिकारी या ग्राम सचिव को सौंपे नहीं गए थे। 2000-01 से 2011-12 तक की अवधि से संबंधित राशि उनके पास पड़ी थी। राशि की वसूली के लिए उचित कार्रवाई, जैसा कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में प्रावधान था, नहीं की गई थी।

मामला अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभाग के पास भेजा गया था (जून 2014 से जनवरी 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

2.4 भूमि का अप्राधिकृत स्वामित्व/अतिक्रमण

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 24(1) प्रावधान करती है कि ग्राम पंचायत (जी.पी.) सार्वजनिक स्थान पर किसी अतिक्रमण को हटाने के लिए किसी भवन या भूमि के मालिक या प्राप्तकर्ता को, आदेश में नियत किए जाने वाले समय सीमा की अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश कर सकती है। यदि अतिक्रमण नियत समय के भीतर नहीं हटाया जाता है तो जी.पी. इसे हटवा सकती है और लागत को ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकती है। पंजाब ग्रामीण कॉमन भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (जैसा हरियाणा को लागू है) की धारा 7(1) आगे प्रावधान करती है कि सहायक कलैक्टर, ऐसे व्यक्ति, जो भूमि या अन्य अचल संपत्ति का गलत ढंग से या अप्राधिकृत स्वामी है, को बाहर कर सकता है तथा पंचायत को उसका स्वामित्व सौंप सकता है और पंजाब टेनेन्सी अधिनियम, 1887 के अंतर्गत भूमि के स्वामित्व हेतु डिक्री के निष्पादन के संबंध में राजस्व न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

चार जिलों में पांच³ बी.डी.पी.ओज के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 50.30 करोड़ मूल्य की 379.05 एकड़ भूमि मार्च 2014 को 27 जी.पीज में अनधिकृत स्वामित्व/अतिक्रमण के अधीन थी (परिशिष्ट 6)। तत्रैव प्रावधानों के अंतर्गत भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिए विभाग द्वारा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई है।

मामला अपर सचिव, हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभाग के पास भेजा गया था (जुलाई 2014 से जनवरी 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

2.5 उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अप्रस्तुतिकरण

तेरहवें वित्त आयोग (एफ.सी.- XIII) की सिफारिश पर भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग को उन्हें आगे पी.आर.आईज को अन्तरण के लिए जारी करते समय राज्य सरकार ने निर्धारित किया कि संबंधित जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डी.डी.पी.ओ.) द्वारा तीन माह के भीतर निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग के पास उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

³ रतिया (फतेहाबाद), मतलौडा (पानीपत), हांसी-II (हिसार), मातनहेल तथा साल्हावास (झज्जर)।

2010-15 के दौरान भारत सरकार ने एफ.सी.- XIII की सिफारिशों पर सामान्य बेसिक अनुदानों तथा निष्पादन/जब्त अनुदानों के रूप में किस्तों में ₹ 1,093.34 करोड़ जारी किए जो आगे पी.आर.आईज को जारी किए गए थे। तथापि, निदेशालय ने डी.डी.पी.ओज से केवल ₹ 77.72 करोड़ (7.10 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए (परिशिष्ट 7) तथा पी.आर.आईज द्वारा ₹ 1,015.62 करोड़ (92.90 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

ए.सी.एस. ने सूचित किया (जनवरी 2016) कि नवंबर 2015 तक ₹ 92.97 करोड़ (8.50 प्रतिशत) की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए गए थे। इस प्रकार, तथ्य रहता है कि ₹ 1,000.37 करोड़ के यू.सी.जी प्रतीक्षित थे।

2.6 गृह कर के बकाया

हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान एवं निर्माण कार्य नियम, 1996 (नियम) के नियम 117 (1) के अनुसार एक ग्राम पंचायत (जी.पी.) अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर ऐसी दरों पर, जैसा यह उचित समझे किंतु ₹ 30 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं, गृह कर लगाने के लिए संकल्प हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 41 की उप-धारा (1) की क्लॉज (ए) के अंतर्गत पारित करेगी। आगे, नियम 118 प्रावधान करता है कि प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जी.पी., चूककर्ताओं से देय राशि दर्शाने वाली एक सूची तैयार करेगी और प्रत्येक चूककर्ता का पृथक मामला कलैक्टर को अग्रेषित करेगी जो अधिनियम की धारा 201 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में उसे वसूल करेगा। इस प्रकार वसूल की गई राशि जी.पी. को सुपुर्द की जाएगी।

दो जिलों में पांच बी.डी.पी.ओज के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 39.77 लाख की राशि का गृह कर मार्च 2014 (तालिका) तक बकाया में था।

क्र.सं.	बी.डी.पी.ओ. का नाम	बकाया गृह कर (₹ लाख में)
1	मातनहेल (झज्जर)	8.51
2	आदमपुर (हिसार)	13.68
3	बरवाला (हिसार)	12.00
4	उकलाना (हिसार)	0.64
5	अग्रोहा (हिसार)	4.94
कुल		39.77

जी.पी.ज ने चूककर्ताओं से बकाया गृह कर वसूल करने के लिए नियमों में विचार किए गए अनुसार कदम नहीं उठाए।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभाग को भेजा गया था (अक्टूबर 2014 से जनवरी 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

भाग ख: शहरी स्थानीय निकाय

भाग - ख: शहरी स्थानीय निकाय

अध्याय 3

शहरी स्थानीय निकायों का प्रोफाइल

3 प्रस्तावना

3.1 शहरी स्थानीय निकायों की पृष्ठभूमि

74वें संवैधानिक संशोधन ने शक्तियों के विकेन्द्रीकरण तथा शहरी स्थानीय निकायों को संविधान की बारहवीं अनुसूची में शामिल 18 कार्यों के साथ निधियों तथा पदाधिकारियों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया है। हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.जी.) को शक्तियों तथा जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हरियाणा नगर अधिनियम, 1973 बनाए गए।

3.2 लेखापरीक्षा व्यवस्था

निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (एल.ए.डी.), हरियाणा एक सांविधिक लेखापरीक्षक है तथा सभी नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगरपालिकाओं की लेखापरीक्षा करता है।

ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) ने सिफारिश की कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यू.एल.बी. के सभी तीन सोपानों/स्तरो के लेखाओं के सही रख-रखाव पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण तथा उनकी लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग ने आगे सिफारिश की कि राज्य सरकार को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्टों को राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। राज्य सरकार ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को शहरी स्थानीय निकायों की नमूना-लेखापरीक्षा तथा यू.एल.बी.जी. के संबंध में निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग, हरियाणा को तकनीकी गाइडेंस (टी.जी.) प्रदान करने की अनुमति प्रदान की (अगस्त 2008)। राज्य सरकार ने आगे अधिसूचित किया (दिसंबर 2011) कि वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट (ए.टी.आई.आर.) तथा एल.ए.डी. की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

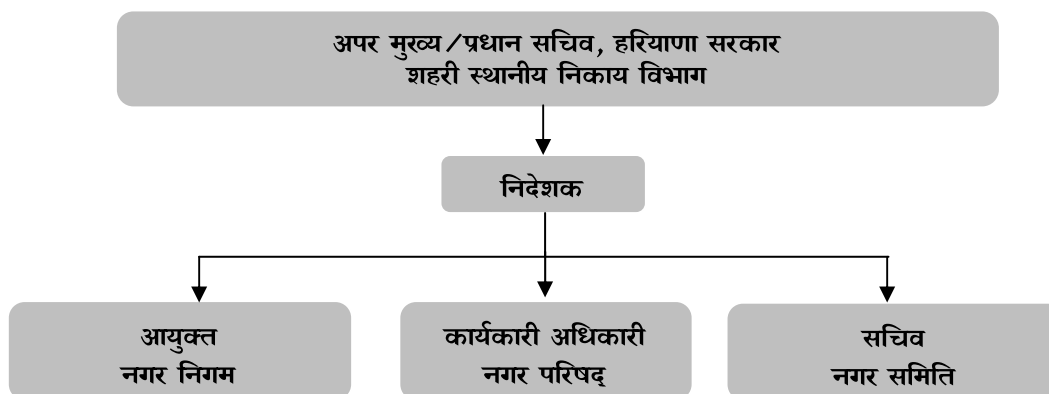
राज्य सरकार ने 6 सितंबर 2013, 10 मार्च 2015 तथा 4 सितंबर 2015 को राज्य विधानसभा के समक्ष क्रमशः वर्ष 2009-11, 2011-13 तथा 2013-14 का ए.टी.आई.आर. प्रस्तुत करके तत्रैव अधिसूचना की शर्तों का पालन किया है। स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग का वर्ष 2009-11 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष 25 मार्च 2015 को प्रस्तुत किया गया था। ए.टी.आई.आर. पर चर्चा करने के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं पर एक पृथक समिति का गठन भी किया गया था।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, यू.एल.बी. में सार्वजनिक वित्त प्रबंध तथा उत्तरदायिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (सांविधिक लेखापरीक्षक) अर्थात् प्राइमरी एक्सटर्नल लेखापरीक्षकों को उपयुक्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता (टी.जी.एस.) प्रदान कर सकते हैं। ऐसे टी.जी.एस. के मापदण्ड, सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) एक्ट, 1971 की धारा 23 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2007 के विनियम 152 से 154 में दिए गए हैं।

3.3 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा

राज्य में 9 नगर निगम, 19 नगर परिषद तथा 50 नगरपालिकाएं हैं। शहरी स्थानीय निकायों में प्रत्येक वार्ड से चुने हुए सदस्य होते हैं। नगर निगम में मेयर तथा नगर परिषद तथा नगरपालिकाओं में अध्यक्ष विभिन्न वार्डों से चुने हुए सदस्यों के बहुमत से चुने जाते हैं। सभापति बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। यू.एल.बी. का समग्र नियंत्रण निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव (शहरी स्थानीय निकाय) के पास होता है। यू.एल.बी. का संगठनात्मक ढांचा नीचे चार्ट 1 में वर्णित है:

चार्ट 1: यू.एल.बी. का संगठनात्मक ढांचा



3.3.1 स्थाई समितियां

यू.एल.बी. निर्धारित कार्यों के निष्पादन के लिए स्थायी समितियां गठित करेंगे। यू.एल.बी. की स्थायी समिति के गठन का विवरण तालिका 7 में वर्णित है।

तालिका 7: स्थाई समितियों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व

यू.एल.बी. के स्तर	स्थायी समिति के अध्यक्ष	स्थायी समितियों के नाम	स्थायी समिति की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व
शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.)	चेयरमैन	वित्त उप-समिति	नगरपालिका के वित्त, बजट बनाने, राजस्व की वृद्धि की संभावनाओं की संवीक्षा, प्राप्तियों तथा व्यय विवरणियों के निरीक्षण इत्यादि से संबंधित कार्यों को देखती है।
		लोक निर्माण कार्य तथा भवन उप-समिति	नगरीय निर्माण, यू.एल.बी. के नियंत्रणाधीन नगरपालिका संपत्तियों तथा भवनों के रख-रखाव तथा सत्यापन से संबंधित कार्यों को देखती है। यह अतिक्रमणों तथा प्रक्षेपणों से संबंधित सभी मामलों को भी देखती है।
		स्वच्छता तथा जलापूर्ति उप-समिति	स्वच्छता, स्वास्थ्य, सीवरेज तथा जलापूर्ति संबंधी मामलों को देखती है।

3.3.2 कार्यों की सुपुर्दगी

यू.एल.बी. को शक्तियों और कार्यों के विकेंद्रीकरण तथा शहरों और कस्बों की पर्याप्त मूलभूत संरचना तथा मूलभूत सुविधाओं सहित उपयुक्त और योजनागत वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए संविधान का 74वां संशोधन किया गया था। नीचे दी गई तालिका 8 में दिए गए विवरणानुसार हरियाणा सरकार ने यू.एल.बी. को 18 कार्य सौंपे हैं। सभी 18 कार्य यू.एल.बी. को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

तालिका 8: यू.एल.बी. को सौंपे गए कार्यों के विवरण

क्र.सं.	यू.एल.बी. को सौंपे गए तथा अंतरित मामले
1.	नगर आयोजना सहित शहरी आयोजना
2.	भूमि प्रयोग तथा भवनों के निर्माण का विनियमन
3.	आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए आयोजना
4.	सड़कें तथा पुल
5.	जलापूर्ति - घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक
6.	जन-स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, संरक्षणता तथा सीवरेज जल अनुरक्षण
7.	अग्नि सेवाएं
8.	शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा पहलुओं को बढ़ाना तथा पारिस्थितिकी
9.	विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा
10.	स्लम सुधार तथा उन्नयन
11.	शहरी गरीबी उन्मूलन
12.	शहरी सुख सुविधाओं तथा सहूलियतों - पार्कों, उद्यानों तथा खेल के मैदानों का प्रावधान
13.	सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा सौंदर्य विषयक पहलुओं का प्रोत्साहन
14.	दफनाना तथा कब्रिस्तान, दाह-संस्कार, शमशानघाट तथा विद्युत शवदाहगृह
15.	पशु तालाब, पशुओं पर निर्दयता की रोकथाम
16.	जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े
17.	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग लोड्स, बस स्टॉपस तथा जन सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुख-सुविधाएं
18.	बूचड़खाना और चर्मशोधनशाला का नियमन

3.4 वित्तीय प्रोफाइल

3.4.1 यू.एल.बी. का निधि प्रवाह

विभिन्न विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए यू.एल.बी. मुख्यतः भारत सरकार तथा राज्य सरकार से अनुदानों के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। भारत सरकार के अनुदानों में केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुदान तथा स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अनुदान शामिल है। राज्य सरकार के अनुदान राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) की सिफारिशों पर कुल कर राजस्व की निवल आय से हस्तांतरण तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु अनुदानों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यू.एल.बी. द्वारा करों, किराया, फीस, लाईसेंस जारी करने आदि के रूप में भी राजस्व एकत्रित किया जाता है।

केंद्रीय तथा राज्य अनुदान, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार केंद्रीय तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए यू.एल.बी. द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जबकि यू.एल.बी. की अपनी प्राप्तियां प्रशासनिक व्ययों तथा यू.एल.बी. द्वारा निर्मित स्कीमों/कार्यों के निष्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं। मुख्य स्कीमों में निधि प्रवाह प्रबंध तालिका 9 में दिए गए हैं:

तालिका 9: मुख्य केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में निधि प्रवाह प्रबंध

क्र.सं.	स्कीम	निधि प्रवाह प्रबंध
1	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में निधियों की हिस्सेदारी की जाती है। केंद्रीय हिस्सा डिमांड ड्रफ्ट के रूप में जारी किया जाता है तथा राज्य हिस्सा राज्य बजट द्वारा विनियोजित किया जाता है।
2	छोटे तथा मध्यम कस्बों के लिए शहरी मूलभूत संरचना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.)	सहायता अनुदान केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा 80:10 के अनुपात में बांटा जाना है तथा शेष 10 प्रतिशत यू.एल.बी. द्वारा अपने स्रोतों से जुटाना होता है।
3	एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.)	स्कीम की लागत का 80 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में केंद्र देता है। शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार, यू.एल.बी. तथा पैरास्टाटल एजेंसियों द्वारा शेयर किया जाता है। यू.एल.बी. अपना अंशदान स्वयं के स्रोतों से या लाभग्राही अंशदान से एकत्रित करती है।
4	शहरी मूलभूत संरचना तथा शासन (यू.आई.जी.)	यू.आई.जी. के अंतर्गत निधिकरण केंद्र, राज्य तथा यू.एल.बी. के मध्य 80:10:10 के अनुपात में शेयर किया जाता है। यू.एल.बी. अपना अंशदान वित्तीय संस्थानों से एकत्रित करती है। जे.एन.एन.आर.यू.एम. के अंतर्गत एक सब-मिशन शहरी गरीब को मूलभूत सेवाओं के लिए 80 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान, 20 प्रतिशत राज्य/यू.एल.बी./पैरास्टाटल शेयर लाभग्राही अंशदान सहित।

3.4.2 निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए यू.एल.बी. की निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता की प्रवृत्ति के विवरण तालिका 10 में दिए गए हैं।

तालिका 10: यू.एल.बी. की निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता पर टाइम सीरीज डाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	आर.	ई.	आर.	ई.	आर.	ई.	आर.	ई.	आर.	ई.
केंद्रीय वित्त आयोग	26.74	27.11	38.13	22.30	60.81	48.52	165.76	165.76	204.24	122.74
राज्य वित्त आयोग	40.69	12.93	54.42	34.37	147.15	113.45	118.12	118.12	152.53	152.53
ऋण	77.37	85.11	42.97	11.75	41.59	25.30	-	-	-	-
अपने स्रोत (कर तथा कर-भिन्न)	764.96	369.41	675.56	1018.51	471.00	327.12	1275.21	892.43	570.55	555.95
अन्य अनुदान	173.53	30.58	380.62	279.38	1184.59	907.26	1082.13	1082.13	1471.08	1394.52
कुल योग	1083.29	525.14	1191.70	1366.31	1905.14	1421.65	2641.22	2258.44	2398.40	2225.74

स्रोत: निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े।

नोट: आर.: प्राप्ति तथा ई.: व्यय।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, वर्ष 2014-15 में ₹ 2,398.40 करोड़ की प्राप्तियों के विरुद्ध ₹ 2,225.74 करोड़ खर्च किए गए थे। बचतें मुख्यतः केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों तथा अन्य अनुदानों के अंतर्गत थी। केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों के अंतर्गत बचतें वर्ष के अंत पर भारत सरकार द्वारा निधियां जारी करने के कारण थी, जबकि अन्य अनुदानों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकार की स्कीमों के लिए नगरपालिकाओं द्वारा निधियों की कम मांग के कारण थी।

3.5 लेखांकन व्यवस्था

नगर निगमों में लेखाओं के रख-रखाव के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी उत्तरदायी हैं जबकि नगर परिषदों के मामले में कार्यकारी अधिकारी तथा नगरपालिकाओं के मामले में सचिव, लेखाकारों की सहायता से लेखे का रख-रखाव करते हैं।

नगरपालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर निगमों के लेखाओं का रख-रखाव नगरीय लेखा संहिता, 1930 द्वारा शासित है। नेशनल म्यूनिसिपल अकाउंट्स मैनुअल द्वारा सुझाए गए अकाउंटिंग फारमेट तथा कोडिफिकेशन पैटर्न के समनुरूप हरियाणा म्यूनिसिपल अकाउंट कोड, 2012 का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मार्च 2012 में जारी किया गया था। निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने बताया (जनवरी 2016) कि नगरपालिकाओं में डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग आरंभ करने के लिए नेशनल म्यूनिसिपल अकाउंट्स मैनुअल पर आधारित म्यूनिसिपल अकाउंट कोड अंतिमकरणाधीन था।

यह इंगित करता है कि नगरपालिकाओं ने अभी नेशनल म्यूनिसिपल अकाउंट्स मैनुअल पर आधारित अकाउंट्स तैयार करने आरंभ नहीं किए हैं।

3.6 लेखापरीक्षा व्याप्ति

वर्ष 2014-15 के दौरान 25 यू.एल.बी. (5¹ नगर निगमों, 6² नगर परिषदों तथा 14³ नगरपालिकाओं) के रिकार्डों की नमूना-जांच की गई थी। इसके अतिरिक्त, एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम अध्याय 4 में दिए गए हैं।

3.7 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा पैराग्राफ्स

नगर निगम, नगर परिषद तथा नगरपालिका के क्रमशः आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/सचिव द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई.आर.) में शामिल अभ्युक्तियों की अनुपालना करना तथा कमियों/चूकों को ठीक करना तथा अभ्युक्तियों को समायोजित करने के लिए उनकी अनुपालना सूचित करना अपेक्षित है। 31 मार्च 2015 को जारी, समायोजित तथा बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा पैराग्राफों के विवरण तालिका 11 में दिए गए हैं।

तालिका 11: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/पैराग्राफों की स्थिति

निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का वर्ष	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों / पैराग्राफों का आरंभिक शेष		जमा		कुल		समायोजित निरीक्षण प्रतिवेदनों / पैराग्राफों की संख्या		31 मार्च 2015 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों / पैराग्राफों की संख्या	
	नि.प्र.	पैरे	नि.प्र.	पैरे	नि.प्र.	पैरे	नि.प्र.	पैरे	नि.प्र.	पैरे
2009-10	-	-	27	257	27	257	-	3	27	254
2010-11	27	254	27	259	54	513	-	12	54	501
2011-12	54	501	21	260	75	761	-	07	75	754
2012-13	75	754	36	264	111	1018	-	-	111	1018
2013-14	111	1018	32	453	143	1471	-	-	143	1471
2014-15	143	1471	32	271	175	1742	-	21	175	1721
कुल			175	1764				43		

¹ (1) पंचकूला, (2) फरीदाबाद, (3) गुड़गांव, (4) पानीपत तथा (5) रोहतक।

² (1) रेवाड़ी, (2) थानेसर, (3) पलवल, (4) सिरसा, (5) नरवाना तथा (6) डबवाली।

³ (1) धारुहेड़ा, (2) बावल, (3) शाहबाद, (4) लाडवा, (5) पेहोवा, (6) तरावड़ी, (7) रानिया, (8) महम, (9) कलानौर, (10) सांपला, (11) कालावाली, (12) ऐलनाबाद, (13) कलायत तथा (14) चीका।

अध्याय – 4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

4.1 एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम भारत सरकार (भा.स.) द्वारा दिसंबर 2005 में शुरू किया गया था जिसका लक्ष्य शहरी स्लमवासियों, जिनके पास पर्याप्त आश्रय नहीं है और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहते हैं, की दशा सुधारने में एकीकृत प्रस्ताव है। स्कीम की निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्न महत्वपूर्ण कमियां सामने आईं:

यद्यपि, परियोजनाएं दिसंबर 2013 में समाप्त कर दी गईं, हुडा को घरों के निर्माण के लिए प्रदान की गई ₹ 9.54 करोड़ की सहायता वसूल नहीं की गई।

(अनुच्छेद 4.1.6.3)

स्कीम निधियों पर ₹ 6.31 करोड़ की राशि का अर्जित ब्याज इसके अनुप्रयोग के लिए नीति के अभाव के कारण अवरूद्ध पड़े थे।

(अनुच्छेद 4.1.6.4)

16,803 घरों के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध, केवल 9,597 घरों (57 प्रतिशत) का निर्माण किया गया और 6,476 घरों का निर्माण रद्द कर दिया गया।

(अनुच्छेद 4.1.7.1)

आठ परियोजनाओं में 1,667 लाभग्राहियों की संस्वीकृत संख्या के आधिक्य में 2,064 व्यक्तियों को ₹ 16 करोड़ की सबसिडी प्रदान की गई थी।

(अनुच्छेद 4.1.7.3)

मूलभूत संरचना विकास की गतिविधियों का कार्यान्वयन बहुत धीमा था क्योंकि 2007-15 के दौरान ₹ 88.15 करोड़ की निर्मुक्ति के विरुद्ध केवल ₹ 62.26 करोड़ खर्च किए गए।

(अनुच्छेद 4.1.8.1)

सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी और राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग प्रभावी नहीं थी।

(अनुच्छेद 4.1.9.1 और 4.1.9.2)

4.1.1 प्रस्तावना

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा दिसंबर 2005 में विद्यमान वाल्मिकी अवेडकर आवास योजना (वी.एएमबी.ए.वाई.) और राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) को मिलाकर, एकीकृत

आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत एक उप-मिशन प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य उन शहरी स्लम निवासियों की दशा में सुधार का प्रस्ताव है जिनके पास पर्याप्त आश्रय नहीं हैं और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहते हैं। स्कीम में घरों के उन्नयन/नए निर्माण तथा जलापूर्ति और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं सहित सभी स्लम सुधार/उन्नयन/पुनर्स्थापन परियोजनाएं शामिल थी। कार्यक्रम 2001 की जनगणना के अनुसार जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत आवृत्त शहरों/नगरों को छोड़कर सभी शहरों तथा नगरों में लागू है, मिशन की अवधि दिसंबर 2005 से मार्च 2012 तक थी जो मार्च 2017 तक बढ़ा दी गई।

4.1.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.) राज्य स्तर पर कार्यक्रम की मानीटरिंग के लिए गठित की गई थी। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार (पी.एस.) शहरी स्थानीय निकाय विभाग (यू.एल.बी.) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख है। राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा (एस.यू.डी.ए.एच.) पूर्ववर्ती (मार्च 2014 से पहले) राज्य शहरी विकास सोसाईटी हरियाणा स्कीम की मानीटरिंग के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) है। जिला स्तर पर जिला शहरी विकास एजेंसीज (डी.यू.डी.एज) स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। अपर उपायुक्त (ए.डी.सीज), डी.यू.डी.एज के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सी.ई.ओज) के रूप में कार्य कर रहे हैं। हिसार तथा पंचकुला जिलों में परियोजनाएं संबंधित नगर निगमों (एम.सीज) द्वारा अप्रैल 2014 से कार्यान्वित की जा रही हैं।

4.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था;
- परियोजनाएं विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डी.पी.आरज) के अनुसार मितव्ययिता और दक्षता से कार्यान्वित की जा रही थी; तथा
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अवलोकन के लिए मानीटरिंग यंत्रावली प्रभावी थी।

4.1.4 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र और पद्धति

2006-15 की अवधि को आवृत्त करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा जनवरी 2015 और जुलाई 2015 के बीच की गई। पांच¹ जिलों के एस.यू.डी.ए.एच. एवं डी.यू.डी.एज और इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। 23 संस्वीकृत परियोजनाओं में से प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साईज विद रिप्लेसमेंट (पी.पी.एस.डब्ल्यू.आर.) पद्धति को अपनाकर फील्ड अध्ययन के लिए छः शहरों/नगरों में नौ² परियोजनाओं का चयन किया गया। इसके

¹ (i) भिवानी, (ii) हिसार, (iii) जींद, (iv) यमुनानगर तथा (v) पंचकुला।

² (i) भिवानी, (ii) हिसार-I, (iii) हिसार-II, (iv) जींद, (v) जगाधरी-I, (vi) जगाधरी-II, (vii) यमुनानगर-I, (viii) यमुनानगर-II तथा (ix) पंचकुला-I

अतिरिक्त दादरी परियोजना को पायलट अध्ययन के अंतर्गत आवृत्त किया गया। चयनित परियोजनाओं की 679 रिहायशी इकाइयों का भौतिक सत्यापन भी लेखापरीक्षा दल के सदस्यों और संबंधित नगरपालिकाओं के स्टाफ के संयुक्त निरीक्षण दलों द्वारा किया गया। चयनित परियोजनाओं के अभिलेखों की उनके प्रारंभ की अवधि से संवीक्षा की गई।

4.1.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्न स्रोतों से लिए गए थे:

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जी.ओ.आई. द्वारा जारी मार्गनिर्देश;
- केंद्रीय संस्वीकृति एवं मानीटरिंग समिति (सी.एस.एम.सी.), केंद्रीय संस्वीकृति समिति (सी.एस.सी.) और एस.एल.सी.सी. की बैठकों के कार्यवृत्त;
- चयनित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डी.आर.आर.ज); तथा
- समय-समय पर एस.यू.डी.ए.एच. द्वारा जारी निर्देश।

4.1.6 वित्तीय प्रबंधन

4.1.6.1 निधियों की प्राप्ति एवं उपयोगिता

2006-15 के दौरान एस.एल.एन.ए. द्वारा प्राप्त निर्मुक्त और डी.यू.डी.एज द्वारा उपयोग की गई निधियों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त	एस.एल.एन.ए. द्वारा डी.यू.डी.एज को निर्मुक्त	डी.यू.डी.एज द्वारा प्रयोग की गई	डी.यू.डी.एज के पास अंतिम शेष
2006-07	10.47	0	0	0
2007-08	103.88	22.97	0	22.97
2008-09	0	90.02	30.28	82.71
2009-10	16.71	18.34	36.01	65.04
2010-11	21.90	0	20.41	44.63
2011-12	9.74	27.28	18.99	52.92
2012-13	24.99	21.16	27.42	46.66
2013-14	41.54	41.05	20.91	66.80
2014-15	0	11.22	23.93	54.09
कुल	229.23	232.04*	177.95	

(स्रोत: एस.यू.डी.ए.एच. से प्राप्त सूचना)

नोट: * बैंक जमाओं से अर्जित ब्याज के रूप में अधिक निर्मुक्त ₹ 2.81 करोड़।

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि डी.यू.डी.एज द्वारा उपलब्ध निधियों की उपयोगिता मंद थी परिणामतः परियोजनाएं अपूर्ण रहीं तथा कार्यक्रम के लाभ पूर्णतः प्राप्त किए नहीं जा सके।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि कुछ कठिनाईयों के कारण, तीन परियोजनाएं रद्द कर दी गई थी और तीन परियोजनाएं कम कर दी गई, परिणामतः ऐसी परियोजनाओं की निधियों का उपयोग नहीं हुआ। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि वर्ष दर वर्ष एस.यू.डी.ए.एच. द्वारा

कोई प्रयास नहीं किए गए परिणामस्वरूप 23 परियोजनाओं में से केवल दो परियोजनाएं (भिवानी और पंचकुला - 1) पूर्ण की गई हैं (अक्टूबर 2015)।

4.1.6.2 निधियों की निर्मुक्ति में विलंब

सी.एस.सी. की 37वीं बैठक में लिए गए निर्णय (30 जुलाई 2008) के अनुसार अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए.सी.ए.) की प्राप्ति की तिथि से 2-3 दिनों के भीतर राज्य हिस्से के साथ केंद्रीय हिस्सा यू.एल.बी.जी को निर्मुक्त किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य सरकार द्वारा एस.यू.डी.ए.एच. (नोडल एजेंसी) को 2009-14 के दौरान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के 25 से 255 दिनों की देरी के साथ ₹ 114.87 करोड़ की निधियां निर्मुक्त की गईं।

ए.सी.एस., यू.एल.बी.जी ने बताया (जुलाई 2015) कि निधियों की निर्मुक्ति में विलंब मुख्यतः भारत सरकार से निर्मुक्त आदेशों की प्राप्ति में देरी, वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने में लिया गया समय, बजटीय सीमाओं के कारण बिलों की अस्वीकृति, आचार संहिता लगाया जाना, आदि के कारण था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि ये रूटीन प्रक्रियात्मक विशेषताएं थी और आचार संहिता वर्ष में केवल एक बार लगाई गई थी। योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के परिहार के लिए निधियों की निर्मुक्ति की व्यवस्था निर्धारित समय सीमा के भीतर की जानी चाहिए।

इसी प्रकार, एस.यू.डी.ए.एच. द्वारा डी.यू.डी.ए.ज/यू.एल.बी.जी को निधियों की निर्मुक्ति में काफी विलंब थे। ₹ 186.34 करोड़ की निर्मुक्ति के लिए विलंब 6 और 328 दिनों के बीच थे।

एस.यू.डी.ए.एच. ने बताया (मार्च 2015) कि डी.यू.डी.ए.ज/यू.एल.बी.जी को निधियों की निर्मुक्ति में देरी उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता, स्लम निवासियों से भारी विरोध के कारण फील्ड में धीमी प्रगति के कारण थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि परियोजनाओं की योजना, इन मामलों को सुलझाने के बाद की जानी चाहिए और निधियां स्कीम के मार्गनिर्देशों के अनुसार निर्मुक्त की जानी चाहिए।

4.1.6.3 अधिक निर्मुक्त परिदान की अवसूची

स्कीम मार्गनिर्देशों के पैरा 4.4 के अनुसार आवासीय इकाइयों के लिए 2007-08 तक उच्चतम लागत ₹ 80,000 और उसके बाद ₹ एक लाख प्रति इकाई थी। लाभार्थी अंशदान न्यूनतम 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया था जो एस.सी./एस.टी./बी.सी./ओ.बी.सी./पी.एच. और अन्य कमजोर वर्गों के मामले में 10 प्रतिशत था।

डी.यू.डी.ए., पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 7,294 आवासीय इकाइयां (प्रथम चरण: 2,388, द्वितीय चरण: 2,457 और तृतीय चरण: 2,449) सितंबर 2006 में संस्वीकृत की गईं और शहरी संपदा पंचकुला में आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) को डी.यू.डी.ए., पंचकुला ने ₹ 24.46³ करोड़ निर्मुक्त किए।

³ मार्च 2008: ₹ 1.46 करोड़, मई 2008: ₹ 12 करोड़ तथा फरवरी 2013: ₹ 11 करोड़।

हुडा ने चरण-1 के अंतर्गत 2,388 आवासीय इकाइयों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 2,072 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया था। चरण-II और III के अंतर्गत आवासीय इकाइयों का निर्माण हुडा के पास उपयुक्त भूमि/साइट की अनुपलब्धता के कारण भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2013 में ड्रॉप कर दिया गया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि हुडा ने इन आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए डी.यू.डी.ए. से प्राप्त ₹ 9.54⁴ करोड़ की वित्तीय सहायता रिफंड नहीं की थी (अक्टूबर 2015)। यह भी अवलोकित किया गया कि डी.यू.डी.ए. भारत सरकार से परियोजनाएं संस्वीकृत करवाने से पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी था, यह सुनिश्चित नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, कालका-I और पिंजौर-I परियोजनाओं के कार्य का क्षेत्र लाभग्राहियों के विरोध और भूमि मामलों के कारण राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा कम कर दिया गया (जून 2014)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि संबंधित नगरपालिकाओं के ₹ 1.94⁵ करोड़ की हकदारी के विरुद्ध ₹ 3.38⁶ करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई (जुलाई 2007 और मई 2008)। हकदारी से अधिक निर्मुक्त ₹ 1.44 करोड़ की राशि नगर निगम, पंचकुला⁷ से अभी तक वसूल नहीं की गई थी (अक्टूबर 2015)।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुए विभाग ने कहा कि हुडा से राशि वसूल करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे।

4.1.6.4 ब्याज की उपयोगिता के लिए स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई

परियोजनाओं के अधीन निधियां एस.यू.डी.ए.एच. और डी.यू.डी.एज द्वारा बैंक खातों में रखी गई थी। इन संगठनों द्वारा बैंकों में निधियों के जमा पर ब्याज अर्जित किया गया था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि न तो स्कीम के मार्गनिर्देशों में इन निधियों पर अर्जित ब्याज की उपयोगिता के लिए प्रावधान है न ही भविष्य की निर्मुक्तियों में इसकी उपयोगिता अथवा समायोजन के लिए नोडल एजेंसी ने कोई स्ट्रेटजी बनाई थी। एस.यू.डी.ए.एच. और नमूना-जांच किए गए डी.यू.डी.एज ने 2006-2015 की अवधि के लिए बैंक जमाओं पर ₹ 11.38⁸ करोड़ का ब्याज अर्जित किया था। इस राशि में से, ₹ 5.07⁹ करोड़ एस.यू.डी.ए.एच. और डी.यू.डी.ए., भिवानी द्वारा दादरी और भिवानी परियोजनाओं के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र आवृत्त करने के लिए खर्च किए गए। ₹ 6.31 करोड़ की शेष निधियां एस.यू.डी.ए.एच. और डी.यू.डी.एज के पास पड़ी थी।

⁴ 24.46 करोड़-(2072 x 72000 = ₹ 14.92 करोड़)।

⁵ कालका-I: ₹ 1.12 तथा पिंजौर-I: ₹ 0.82 करोड़।

⁶ कालका-I: ₹ 1.60 करोड़ तथा पिंजौर-I: ₹ 1.78 करोड़।

⁷ कालका तथा पिंजौर की नगर समिति नगर निगम, पंचकुला में विलीन हो गई।

⁸ डी.यू.डी.एज (i) भिवानी: ₹ 1.34 करोड़, (ii) दादरी: 0.70 करोड़, (iii) हिसार-I: ₹ 0.84 करोड़, (iv) हिसार-II: ₹ 0.09 करोड़, (v) जगाधरी-I: ₹ 1.22 करोड़, (vi) जगाधरी-II: ₹ 0.04 करोड़, (vii) जींद: ₹ 1.02 करोड़, (viii) पंचकुला-I: ₹ 2.50 करोड़, (ix) यमुनानगर-I: ₹ 0.53 करोड़, (x) यमुनानगर-II: ₹ 0.04 करोड़ तथा (xi) एस.यू.डी.ए.एच.: ₹ 3.06 करोड़।

⁹ (i) एस.यू.डी.ए.एच.: ₹ 3.03 करोड़ तथा डी.यू.डी.एज (ii) भिवानी: ₹ 1.34 करोड़ एवं (iii) दादरी: ₹ 0.70 करोड़।

विभाग ने एगजिट काफ्रेंस के दौरान बताया कि ब्याज की उपयोगिता बारे कोई विशिष्ट मार्गनिर्देश नहीं थे और आश्वासन दिया कि मामले पर विचार किया जाएगा और सभी यू.एल.बीज को राज्य स्तर पर स्कीम गतिविधियों पर ब्याज की उपयोगिता के लिए मार्गनिर्देश जारी किए जाएंगे।

परियोजनाओं का कार्यान्वयन

स्कीम में दो घटक थे अर्थात् आवास तथा मूलभूत संरचना विकास। आवास घटक के अंतर्गत लाभग्राहियों को मुख्यतः वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी तथा मूलभूत संरचना विकास के अंतर्गत जलापूर्ति, सीवरज, सड़कें इत्यादि जैसी सुविधाएं प्रदान की गई थी।

4.1.7 आवास घटक

4.1.7.1 भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

संस्वीकृत परियोजनाओं, योजनाबद्ध और 31 मार्च 2015 तक पूर्ण किए गए मकानों की संख्या की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

वर्ष	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	मकानों की संख्या			31 मार्च 2015 को पूर्ण किए गए मकान	योजनाबद्ध के संदर्भ में कमी
		योजनाबद्ध	रद्द/कम किए गए	शेष		
2006-07	15	14823	5098 (3)* 1378(4)**	8347	7821	7002
2008-09	3	1785	-	10132	1695	90
2011-12	1	195	-	10327	81	114
2014-15	-	-	-	10327	-	-
कुल	19	16803	6476	10327	9597	7206

(स्रोत: एस.यू.डी.ए.एच से प्राप्त सूचना)

नोट: *2011-12 में बंधु नगर (192), 2013-14 में पंचकुला-II (2,449) और 2013-14 में पंचकुला-III (2,457) नाम की तीन परियोजनाओं में कुल 5,098 मकान रद्द किए गए थे।

** 2013-14 में हिसार-I (936), 2013-14 में पंचकुला-I (316) 2014-15 में कालका (47) और 2014-15 में पिंजौर (79) नाम की चार परियोजनाओं में कुल 1,378 मकान कम किए गए थे।

ऊपर की तालिका इंगित करती है कि 2006-15 के दौरान, एस.एल.एन.ए. ने आरंभ में 16,803 घरों के भौतिक लक्ष्य नियत किए थे जिसके विरुद्ध केवल 9,597 मकान (57 प्रतिशत) 31 मार्च 2015 तक पूर्ण किए गए।

एस.यू.डी.ए.एच. ने बताया (मार्च 2015) कि परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि/साइट की अनुपलब्धता, स्थानीय स्लम निवासियों से भारी विरोध, स्लम निवासियों की शिफ्टिंग इत्यादि के परिणामस्वरूप परियोजनाओं की ड्रापिंग/कमी हुई। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि परियोजनाएं उपयुक्त सर्वेक्षण तथा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद तैयार नहीं की गई थी।

विभाग ने एगजिट काफ्रेंस के दौरान आश्वासन दिया कि मकानों का निर्माण पूर्ण करने के प्रयास किए जाएंगे।

4.1.7.2 लाभग्राहियों द्वारा भवनों का पूर्ण न किया जाना

एस.यू.डी.एच. द्वारा जारी अनुदेशों (दिसंबर 2008) के अनुसार आवासीय इकाइयों का निर्माण लाभग्राहियों द्वारा उनके स्वयं के स्तर पर किया जाना था और परिदान उन्हें चार समान किशतों में वितरित किया जाना था अर्थात् प्लिंथ स्तर, छत स्तर, छत डालना/के पूर्ण होने पर और मकान को हर प्रकार से पूर्ण करने के बाद।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि छः परियोजनाओं के अंतर्गत 293 लाभग्राहियों ने अपनी आवासीय इकाइयों को पूर्ण नहीं किया था और ₹ 1.52¹⁰ करोड़ की सबसिडी उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय किशतों के रूप में निर्मुक्त कर दी गई। लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित डी.यू.डी.एज/एम.सीज ने आवासीय इकाइयों की पूर्णता को मॉनीटर नहीं किया और न ही पहले से निर्मुक्त सबसिडी वापस लेने के लिए कार्रवाई की थी।

विभाग ने एगजिट काफ्रेंस के दौरान बताया कि मकानों को शीघ्र पूर्ण करवाने के प्रयास किए जाएंगे और उन लाभग्राहियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्णय भी लिया जाएगा जिन्होंने सबसिडी प्राप्त करने के बाद मकानों को पूर्ण नहीं किया।

4.1.7.3 संस्वीकृत संख्या के आधिक्य में लाभग्राहियों को वित्तीय सहायता

एस.यू.डी.एच. द्वारा जारी अनुदेशों (दिसंबर 2008) के अनुसार, संबंधित एम.सीज के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों और डी.यू.डी.एज के सहायक परियोजना अधिकारियों द्वारा डी.पी.आरज में शामिल करने के लिए संबंधित जिला के ए.डी.सी. द्वारा विधिवत् सत्यापित लाभग्राहियों की अंतिम सूची तैयार की जानी अपेक्षित थी। ये डी.पी.आरज केंद्रीय संस्वीकृति समिति (सी.एस.सी.) से अनुमोदित करवाए जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 54 स्लम क्षेत्रों के डी.पी.आरज में 1,667 लाभग्राहियों की संस्वीकृति के विरुद्ध 3,731 व्यक्तियों को आठ¹¹ नमूना-जांच की गई परियोजनाओं में ₹ 72,000/90,000 की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इस प्रकार, सी.एस.सी. के अनुमोदन के बिना डी.पी.आरज में संस्वीकृत से 2,064 अधिक व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इन मामलों में वित्तीय सहायता ₹ 16 करोड़ परिकलित की गई है (परिशिष्ट 8)।

विभाग ने एगजिट काफ्रेंस के दौरान बताया कि कुछ लाभग्राहियों को परिवर्तित/बदला गया था क्योंकि डी.पी.आर. में आवृत्त लाभग्राहियों में से कुछ ने पहले ही अपने स्वयं के साधनों से मकान निर्मित कर लिए थे और कुछ लाभग्राही सही भूमि स्वामित्व प्रस्तुत नहीं कर सके। तथ्य रहता है कि सी.एस.सी. के अनुमोदन के बिना 2,064 लाभग्राहियों को वित्तीय सहायता दी गई थी।

¹⁰ (i) हिसार-I: 0.25 करोड़, (ii) हिसार-II: ₹ 0.56 करोड़, (iii) जींद: ₹ 0.36 करोड़, (iv) जगाधरी-I: ₹ 0.13 करोड़, (v) यमुनानगर-I: ₹ 0.08 करोड़ तथा (vi) दादरी: ₹ 0.14 करोड़।

¹¹ (i) भिवानी, (ii) हिसार-I, (iii) हिसार-II, (iv) जींद, (v) जगाधरी-I, (vi) दादरी, (vii) यमुनानगर-I तथा (viii) पंचकुला-I

4.1.7.4 सबसिडी का दोहरा लाभ

अनुसूचित जातियों के लिए मकानों के निर्माण की स्कीम अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग कल्याण (डब्ल्यू.एस.सी.बी.सी.) विभाग द्वारा राज्य में परिचालन में थी। स्कीम के अनुसार, वे व्यक्ति, जो किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत मकान के निर्माण के लिए उसी प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं, स्कीम के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

यह अवलोकित किया गया कि डी.यू.डी.ए. जींद में सात लाभग्राहियों ने आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत ₹ 6.08 लाख की राशि की सबसिडी का लाभ प्राप्त किया था जबकि वही लाभग्राही डब्ल्यू.एस.सी.बी.सी. द्वारा कार्यान्वित आवासीय स्कीम के अंतर्गत सहायता पहले ही प्राप्त कर चुके थे।

विभाग ने लाभग्राहियों को सबसिडी के दोहरे लाभ के भुगतान से बचने के लिए कोई यंत्रावली नहीं बनाई थी।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि राशि वसूल कर ली जाएगी और समान उद्देश्य के लिए दो स्कीमों से सहायता के भुगतान के मामलों की पुनरावृत्ति के परिहार के लिए ध्यान रखा जाएगा।

4.1.7.5 प्रथम किश्त के साथ लाभग्राही हिस्से की कटौती न करना

एस.यू.डी.ए.एच. द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी संस्वीकृति आदेशों (अक्टूबर 2009) के अनुसार, आवासीय घटक के अंतर्गत लाभग्राही हिस्सा प्रथम किश्त में समायोजित किया जाना था।

जींद और यमुनानगर जिलों में यह अवलोकित किया गया कि आवासीय घटक के अंतर्गत लाभग्राही हिस्सा प्रथम किश्त की बजाय चार किश्तों में समायोजित किया गया। कुल 2,536 लाभग्राहियों में से, 2,430 लाभग्राहियों ने अपनी आवासीय इकाइयों को पूर्ण कर लिया था और शेष 106 लाभग्राहियों ने अब तक पूर्ण नहीं किए थे (जुलाई 2015)। यदि लाभग्राही हिस्सा एस.यू.डी.ए.एच. के संस्वीकृति आदेशों के अनुसार पहली किश्त में समायोजित कर लिया जाता तो उन लाभग्राहियों, जिन्होंने अपने मकान पूर्ण नहीं किए थे, को ₹ 3.78 लाख राशि की कम सबसिडी का भुगतान किया जाता। इस प्रकार, इन लाभग्राहियों को इस सीमा तक अधिक सबसिडी का भुगतान किया गया।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि संस्वीकृति आदेशों की शर्तों की भविष्य में अनुपालना की जाएगी।

4.1.7.6 सबसिडी का अधिक भुगतान

स्कीम मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 4.8 के अंतर्गत लाभग्राही अंशदान न्यूनतम 12 प्रतिशत निर्धारित है, जो एस.सी./एस.टी./बी.सी./ओ.बी.सी./पी.एच. और अन्य कमजोर वर्गों के मामले में 10 प्रतिशत है।

यह अवलोकित किया गया कि हिसार-II परियोजना के सामान्य वर्ग (एस.सी./एस.टी./बी.सी./ओ.बी.सी./पी.एच. और अन्य कमजोर वर्गों से अन्य) के 58 लाभग्राहियों द्वारा 12 प्रतिशत की बजाय 10 प्रतिशत की दर पर लाभग्राही हिस्से का अंशदान किया गया जो स्कीम के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन था और परिणामतः ₹ 1.16 लाख राशि की सबसिडी का अधिक भुगतान हुआ।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि वसूली की जाएगी।

4.1.7.7 निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन में मकानों का विक्रय

सी.एस.सी. द्वारा लिए गए निर्णय (जुलाई 2008) के अनुसार, प्रत्येक परियोजना के साथ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित लाभग्राहियों की सूची होनी चाहिए और यू.एल.बी.जी को लक्षित लाभग्राहियों को आर्बिट्ररी आवासीय इकाइयों के विक्रय/दुरुपयोग की संभावना के परिहार के लिए जहां संभव हो जैविक कार्ड के लिए जाना चाहिए।

चयनित स्लम क्षेत्रों की आवासीय इकाइयों के भौतिक सत्यापन के दौरान (अप्रैल-मई 2015) यह अवलोकित किया गया था कि इस प्रभाव का शपथपत्र प्रस्तुत करने के बावजूद कि वे मकान को किराए पर या विक्रय नहीं करेंगे, आठ¹² लाभग्राहियों ने ₹ 6.39 लाख की सबसिडी से आवेष्टित अपने घर बेच दिए थे। इन मामलों में सबसिडी लाभग्राहियों से वसूल की जानी चाहिए।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक यंत्रावली विकसित की जाएगी कि स्कीम के अंतर्गत सबसिडी प्राप्त करने के बाद कम से कम पांच वर्षों तक लाभग्राही अपने मकानों को नहीं बेच सकते।

4.1.8 मूलभूत संरचना घटक

4.1.8.1 परियोजनाओं का धीमा कार्यान्वयन

नमूना-जांच की गई परियोजनाओं में 2007-15 के दौरान मूलभूत संरचना विकास के लिए ₹ 88.15 करोड़ निर्मुक्त किए गए, जिसके विरुद्ध ₹ 62.26 करोड़ का व्यय किया गया (परिशिष्ट 9)। मूलभूत संरचना विकास से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निम्न कमियां प्रकट की:

- जींद परियोजना 2008-09 में ₹ 18.67 करोड़ (आवास: ₹ 9.33 करोड़ और मूलभूत संरचना: ₹ 9.34 करोड़) की अनुमानित लागत पर संस्वीकृत की गई और दो वर्षों के भीतर पूर्ण की जानी निर्धारित थी। तथापि, मूलभूत संरचना विकास के लिए ₹ 9.34 करोड़ की निधियां मार्च 2014 में निर्मुक्त की गईं। ड्रेनेज, सड़कों और गलियों का निर्माण कार्य आरंभ किया गया और मार्च 2015 तक ₹ 6.56 करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध ₹ 0.71 करोड़ का व्यय किया गया। जलापूर्ति, सीवर

¹²

जींद: 2, जगाधरी-I: 1, यमुनानगर-I: 2 तथा दादरी: 3

और स्ट्रीट लाइटों का निर्माण कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया गया था (अक्टूबर 2015)।

- यमुनानगर-I परियोजना ₹ 11.20 करोड़ (आवास: ₹ 6.52 करोड़ और मूलभूत संरचना: ₹ 4.68 करोड़) की अनुमानित लागत पर 2008-09 में संस्वीकृत की गई और दो वर्षों के भीतर पूर्ण की जानी निर्धारित थी। मूलभूत संरचना विकास के लिए ₹ 4.68 करोड़ की निधियां तथापि, मार्च 2014 में निर्मुक्त की गई। ड्रेनेज, सड़कों और गलियों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया और मार्च 2015 तक ₹ 3.69 करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध ₹ 1.82 करोड़ का व्यय किया गया। स्ट्रीट लाइट्स, सामुदायिक केन्द्र, लाईवलीहुड केन्द्र, अनौपचारिक बाजार, एनीमल केन्द्र, जोगिंग ट्रैक, रिक्सा स्टैंड इत्यादि बनाने का निर्माण कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया था (अक्टूबर 2015)।
- यमुनानगर-II परियोजना 2011-12 में संस्वीकृत की गई तथा दो वर्षों के भीतर पूर्ण की जानी निर्धारित थी। मूलभूत संरचना विकास के लिए ₹ 6.37¹³ करोड़ की निधियां तथापि, 2013-14 और 2014-15 में निर्मुक्त की गई। जलापूर्ति, सीवरेज, सड़कों और गलियों, स्ट्रीट लाइट्स, सामुदायिक संरचना इत्यादि का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया तथा मार्च 2015 तक ₹ 5.80 करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध ₹ 2.44 करोड़ का व्यय किया गया। ड्रेनेज निर्माण कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया था (अक्टूबर 2015)।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि परियोजनाओं का कार्यान्वयन बहुत धीमा था यद्यपि निधियां उपलब्ध थी। इसके परिणामस्वरूप, परियोजना में विचारित लाभों से स्लम निवासी दीर्घ समय तक वंचित रहे।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया कि निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

4.1.8.2 भूमि की क्लीयरेंस प्राप्त किए बिना साईट्स का चयन

पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 15.1.4 में प्रावधान है कि भूमि/साईट, जिस पर निर्माण किया जाना है, संबंधित विभाग के अधिकार में होनी चाहिए या भूमि के प्रभारी विभाग से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

डी.यू.डी.ए., यमुनानगर के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जन-स्वास्थ्य डिवीजन, यमुनानगर ने 2013-14 में ₹ 58.91 लाख की अनुमानित लागत पर पांच टयूबवैल और जलापूर्ति लाईनों के प्रस्थापन के तीन¹⁴ निर्माणकार्य प्रारंभ किए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि दो टयूबवैल राजेश कालोनी और आत्मपुरी में प्रस्थापित किए गए और ₹ 26.31 लाख का व्यय किया गया। तथापि, शेष तीन टयूबवैल प्रस्थापित नहीं किए जा सके क्योंकि

¹³ 2013-14: ₹ 3.19 करोड़, 2014-15: ₹ 3.18 करोड़।

¹⁴ (i) राजेश कालोनी और सावनपुरी (ii) आत्मपुरी और करतारपुरा और (iii) तिलक नगर में टयूबवैल और जलापूर्ति लाइनों का प्रस्थापन।

नगर निगम द्वारा साईट उपलब्ध नहीं करवाई गई। आगे, तिलक नगर में प्रस्थापित किए जाने वाले ट्यूबवैल हेतु मशीनरी की खरीद पर ₹ 2.75 लाख की राशि व्यय की गई (अप्रैल 2015 तक)। इस प्रकार, निर्माण कार्य साईट्स को अधिकार में लिए बिना आरंभ किया गया जो कोडल प्रावधानों के विरुद्ध था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 29.85 लाख जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी डिवीजन के पास दो वर्षों से (मार्च 2016) अवरूद्ध पड़े थे। इसके अतिरिक्त ₹ 2.75 लाख मूल्य की मशीनरी बेकार पड़ी थी।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि वैकल्पिक साईट्स की पहचान की गई थी तथा कार्य जल्द पूर्ण किया जाएगा।

4.1.8.3 निधियों का विपथन

₹ 9.33 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध, जगाधरी-I परियोजना के अंतर्गत स्लम क्षेत्रों में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने के लिए डी.यू.डी.ए., यमुनानगर द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी डिवीजन (पी.एच.ई.डी.) को ₹ 8.28 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई और ₹ 1.05 करोड़ की शेष राशि एम.सी. यमुनानगर को गलियों की मरम्मत के लिए निर्मुक्त की गई (मई 2013)। 2014-15 के दौरान गलियों की मरम्मत पर ₹ 0.87 करोड़ का व्यय किया गया। चूंकि निधियां सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्मुक्त की गई थी, गलियों की मरम्मत पर निधियों का खर्च किया जाना डी.पी.आर. के प्रावधान के विरुद्ध था जिससे निधियों का विपथन हुआ।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि विपथन को सी.एस.एम.सी. से विनियमित करवा लिया जाएगा।

4.1.8.4 परियोजनाओं के परिणाम का सर्वेक्षण

शहरी निर्धन की मूल सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए, संबंधित नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में इस स्कीम के 679¹⁵ लाभग्राहियों से आवासीय स्थितियों, पानी की उपलब्धता, सीवरेज कवरेज, अन्य स्कीमों के साथ समाभिरूपता (स्कीम दिशानिर्देशों में विचारितानुसार), इत्यादि के बारे में प्रश्न किए गए। 137 स्लमज में से 76 को सर्वेक्षण के अधीन आवृत किया गया। कथित सर्वेक्षण के परिणाम निम्नवत हाइलाइट किए गए हैं:

- हिसार और जगाधरी-I परियोजनाओं के शत-प्रतिशत लाभग्राहियों ने बताया कि उनके क्षेत्रों में पानी इक्ठ्ठा होने की समस्याएं थी। यद्यपि ये परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी थी फिर भी पानी इक्ठ्ठा होने की समस्या का समाधान नहीं हुआ था।
- जगाधरी-I परियोजना के 12 प्रतिशत लाभग्राहियों ने बताया कि उनके क्षेत्रों में समुचित सीवरेज नेटवर्क नहीं था।
- जगाधरी-I परियोजना के शत-प्रतिशत लाभग्राहियों ने बताया कि उनके मकान पाईप वाली जलापूर्ति के स्रोत से 200 मीटर दूर स्थित थे और जलापूर्ति नियमित नहीं थी।

¹⁵ भिवानी: 100, हिसार-I: 77, हिसार-II: 51, जींद: 101, जगाधरी-I: 101, यमुनानगर-I: 99, दादरी: 89 तथा पंचकुला-I: 61

- भिवानी, जगाधरी-I और दादरी परियोजनाओं के शत-प्रतिशत लाभग्राहियों ने बताया कि जलापूर्ति का प्रेशर संतोषजनक नहीं था।
- 679 लाभग्राहियों में से 344 (51 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उनके क्षेत्रों में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था तथा
- 566 लाभग्राहियों (83 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उनके क्षेत्रों में कोई मीटरनिटी केंद्र नहीं था।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इन समस्याओं का समाधान पी.एच.ई.डी. के साथ किया जाएगा तथा कि स्वास्थ्य विभाग में अन्य राज्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ समाभिरूपता, समन्वित रूप में लाभग्राहियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए, बेहतर ढंग से की जाएगी। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि लाभग्राहियों को सुविधाएं प्रदान करने और स्कीम के लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न निष्पादन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।

4.1.9 सामाजिक लेखापरीक्षा और मॉनीटरिंग

4.1.9.1 सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई

भारत सरकार ने शहरी निर्धनों हेतु लिए गए मकानों के निर्माण-नींव, बेसमेंट, लेंटर, छत, पूर्णता और अधिकार में लेने के विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण करने तथा निर्माण प्रक्रिया के दौरान तथा पूर्णता के बाद परियोजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा प्रारंभ करने के लिए लाभग्राही समितियां गठित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकार को अनुरोध किया (मई 2008)। दिसंबर 2011 में भारत सरकार द्वारा बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं के लिए जारी सामाजिक लेखापरीक्षा दिशा निर्देशों तथा टूलकिट में भी योजनाबद्ध, समयबद्ध नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा का प्रावधान किया गया। यह तथापि, अवलोकित किया गया कि प्रयोजन हेतु न तो लाभग्राही समितियां गठित की गई थी और न ही किसी भी परियोजना में स्टेकहालडर्स के साथ बैठक आयोजित करने के बाद समुचित ढंग से सामाजिक लेखापरीक्षा की गई थी।

विभागीय अधिकारियों ने एगजिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि आई.एच.एस.डी.पी. मॉनीटरिंग समितियां जिला स्तर पर गठित की गई थी और सामाजिक लेखापरीक्षा की गई थी और निरीक्षण आयोजित करने और स्टेकहालडर्स को शामिल करने के बाद समय-समय पर निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किए गए थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि सामाजिक लेखापरीक्षा स्टेकहालडर्स के साथ बैठक करके और स्कीम के कार्यान्वयन के बारे सभी तथ्य प्रकट करके सही ढंग से नहीं की गई। आगे, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट नहीं था कि स्टेकहालडर्स को प्रक्रिया में शामिल किया गया था जैसा कि सामाजिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत अपेक्षित था। इस प्रकार, सामाजिक लेखापरीक्षा सच्ची लगन से नहीं की गई।

4.1.9.2 मॉनीटरिंग

स्कीम मार्गनिर्देशों के पैरा 10 के अनुसार एस.एल.सी.सी. द्वारा वित्तीय संस्थाओं से निधियों के संचटन सहित संस्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति को आवधिक रूप से मॉनीटर किया जाना और

कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की जानी अपेक्षित थी। एस.एल.सी.सी. द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए तिमाही में कम से कम एक बार बैठक की जानी अपेक्षित थी।

राज्य सरकार ने थर्ड पार्टी निरीक्षण और मॉनीटरिंग एजेंसी (टी.पी.आई.एम.ए.) के रूप में परामर्श सेवाओं के लिए डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. लिमिटेड को नियुक्त किया (अक्टूबर 2010)। एजेंसी को निर्माण अवधि के दौरान परियोजना साइट्स का छः बार दौरा करना था, जिसके विरुद्ध केवल दो से चार दौर किए गए। आगे, एस.एल.सी.सी. ने 2006-15 के दौरान, 36 बैठकों की आवश्यकता के विरुद्ध केवल आठ बैठकें आयोजित की। एस.एल.सी.सी. परियोजनाओं की समयपूर्व पूर्णता सुनिश्चित करने में विफल रही क्योंकि निष्पादन एजेंसियों ने परियोजनाओं की पूर्णता के लिए समय-सारणी की अनुपालना नहीं की। इस प्रकार, मॉनीटरिंग प्रभावी नहीं थी।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि प्रत्येक आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना की प्रगति की तत्कालीन अपर मुख्य सचिव/पी.एस., यू.एल.बी. और जिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समितियों द्वारा नियमित इंटरवल पर नियमित रूप से समीक्षा की जा रही थी।

4.1.10 निष्कर्ष

यद्यपि, पंचकूला-II और III की परियोजनाओं को दिसंबर 2013 में ड्राप कर दिया गया था, मकानों के निर्माण के लिए हुडा को प्रदान की गई सहायता की वसूली नहीं की गई थी। स्कीम की निधियों पर अर्जित ब्याज इसकी उपयोगिता के लिए नीति के अभाव में अवरूद्ध पड़ा था। मकानों की लक्षित संख्या के केवल 57 प्रतिशत निर्मित किए गए थे और 39 प्रतिशत मकानों का निर्माण रद्द किया गया। आठ परियोजनाओं में 54 स्लम क्षेत्रों में अधिक व्यक्तियों को सबसिडी प्रदान की गई। सबसिडी का दोहरा लाभ प्रदान करने, सबसिडी का अधिक भुगतान और शर्तों के उल्लंघन में मकानों के विक्रय के मामले अवलोकित किए गए। मूलभूत संरचना विकास की गतिविधियों का कार्यान्वयन बहुत धीमा था। सरकार की अन्य स्कीमों के साथ समाभिरूपता का अभाव था। सामाजिक लेखापरीक्षा समुचित ढंग से आयोजित नहीं की जा रही थी और राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग प्रभावी नहीं थी।

4.1.11 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- भारत सरकार के साथ परामर्श से, अर्जित ब्याज की उपयोगिता के लिए नीति बनाना;
- लेटर स्टेज पर परियोजना को रद्द करने से बचने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां निर्मुक्त करने से पहले भूमि/स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- रोकथाम के उपाय के रूप में आवासीय इकाइयों की अपूर्णता की स्थिति में सबसिडी वापिस लेने के लिए नीति बनाना;
- एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर मूलभूत संरचना विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन को त्वरित करना; तथा
- सामाजिक लेखापरीक्षा और प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित करना।

4.2 विकास शुल्क की वसूली न करना

नागरिक सुविधाओं तथा मूलभूत संरचना कमी वाले क्षेत्र (विशेष प्रावधान) का हरियाणा प्रबंधन अधिनियम 2013, 26 सितंबर 2013 को लागू हुआ था। अधिनियम को, हरियाणा राज्य में नागरिक सुविधाओं तथा मूलभूत संरचना कमी वाले म्यूनिसिपल क्षेत्रों में तथा उनसे जुड़े मामलों तथा उनके प्रासंगिकों के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान करना है।

राज्य सरकार ने अधिनियम के अंतर्गत एक नीति (नवंबर 2013) (दिसंबर 2013 में जारी संशोधित नार्मज के साथ पठित) बनाई तथा विकास शुल्क निर्धारित किए जो अधिसूचित नागरिक सुविधाओं तथा मूलभूत संरचना कमी वाले म्यूनिसिपल क्षेत्रों के भीतर स्थित भवनों/प्लाट्स पर फरीदाबाद तथा गुड़गांव के नगर निगम, अन्य नगर निगमों, नगर परिषद तथा नगर समितियों के लिए क्रमशः ₹ 150 प्रति वर्ग गज, ₹ 100 प्रति वर्ग गज, ₹ 50 प्रति वर्ग गज तथा ₹ 30 प्रति वर्ग गज की दर पर उद्गृहीत किए जाने हैं।

राज्य सरकार ने दस¹⁶ नगर पालिकाओं में, 135 कालोनियों के अंतर्गत क्षेत्रों को नागरिक सुविधाओं तथा मूलभूत संरचना कमी वाले क्षेत्र घोषित किए (अक्टूबर 2013 तथा जनवरी 2014) तथापि, मार्च 2015 तक संबंधित निवासियों से विकास शुल्कों की वसूली नहीं की गई थी। लगभग दो वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी शुल्कों का भुगतान करने के लिए मालिकों को मांग-नोटिस जारी नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, 135 कालोनियों के निवासियों से ₹ 108.41 करोड़ के राजस्व वसूल न किए गए रहे (परिशिष्ट 10)।

सचिव, नगर समिति, लाडवा ने बताया (जनवरी 2016) कि विकास शुल्कों के रूप में ₹ 1.57 लाख वसूल कर लिए गए थे। इस संबंध में आगे कार्रवाई की जा रही थी।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को जुलाई 2014 से जनवरी 2016 तक भेज दिया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

4.3 बेकार मशीनरी

नगर निगम (एम.सी.), पंचकूला ने स्वच्छता प्रयोजन के लिए ₹ 57.43 लाख (फैब्रीकेशन की लागत सहित) की लागत पर तीन रिफ्यूज काम्पैक्टर व्हीकल्स खरीदे (2010-11) तथापि, पंजीकरण प्राधिकारी के पास इन व्हीकल्स के पंजीकरण न होने के कारण मई 2015 तक व्हीकल्स प्रयोग में नहीं लाए गए थे। इसी प्रकार, नगर समिति, कलायत (कैथल) ने ₹ 37.60 लाख के एक रिफ्यूज काम्पैक्टर तथा 50 गारबेज कन्टेनरज खरीदे तथा फैब्रीकेट करवाए (फरवरी से मार्च 2010) लेकिन अप्रैल 2015 तक प्रयोग में नहीं लाए गए थे।

नगर समिति, कलायत, ने बताया (फरवरी 2016) कि गारबेज कन्टेनर तब से प्रयोग कर लिए गए थे तथा रिफ्यूज काम्पैक्टर भी शीघ्र प्रयोग कर लिए जाएंगे। नगर निगम, पंचकूला ने बताया (फरवरी 2016) कि पंजीकरण में देरी के कारण ₹ 70,572 की पेनल्टी के भुगतान के बाद

¹⁶ (i) नगर समिति, सांपला, (ii) मेहम, (iii) कलानौर, (iv) तरावड़ी, (v) लाडवा, (vi) पेहोवा, (vii) शाहबाद, (viii) नगर परिषद, रेवाड़ी, (ix) नगर निगम, फरीदाबाद तथा (x) पानीपत।

पंजीकरण प्राधिकारी के पास व्हीकलज पंजीकृत (अगस्त 2015) करवा दिए गए थे तथा प्रयोग के लिए रख दिए गए थे। इस प्रकार, तथ्य रहता है कि रिफ्यूज काम्प्यूटर एम.सी., पंचकूला के पास पांच वर्षों तक बेकार पड़े रहे तथा एम.सी., कलायत के छः वर्षों से बेकार पड़े थे।

मामला, अपर मुख्य/प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेज दिया गया था (अगस्त 2014 से जनवरी 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

4.4 किराया प्राप्तियों पर सेवा कर की अवसूली

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(105) (जेड.जेड.जेड.जेड.) के अनुसार, अचल संपत्ति को किराए पर देने के लिए सेवा के लिए कर योग्य सेवा टर्म से अभिप्राय, व्यवसाय या वाणिज्य को बढ़ाने के दौरान प्रयोग के लिए अचल संपत्ति के किराए पर देने के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई सेवा या दी जाने वाली सेवा से है। अचल संपत्ति में किराए पर देना, भाड़े पर देना, पट्टे पर देना, लाईसैंसिंग या अचल संपत्ति के अन्य उसी तरह के प्रबंध शामिल हैं।¹⁷ 1 जुलाई 2007 से नेगेटिव सूची के लागू करने के साथ धारा 66बी, नेगेटिव सूची में विनिर्दिष्ट सेवाओं से अन्य दी गई सेवाओं के मूल्य पर निर्धारित दरों¹⁷ पर सेवा कर का उद्ग्रहण निर्धारित करती है।

छः नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि नगरपालिकाओं की दुकानें/बूथस/भूमियां मासिक किराया आधार पर किराए पर दी गई थी। 2008 से 2014 के दौरान नगरपालिकाएं ₹ 10.02 करोड़ की किराया प्राप्तियों पर, इसे किराएदारों से एकत्र करने के पश्चात, ₹ 1.17 करोड़ के सेवा कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी थी। यह अवलोकित किया गया कि छः नगरपालिकाओं ने किराएदारों से सेवा कर एकत्र नहीं किया था (परिशिष्ट 11)।

यह भी अवलोकित किया गया कि नगरपालिका, फरीदाबाद तथा थानेसर ने किराएदारों से वसूली किए बिना जनवरी तथा मार्च 2014 में अपने संसाधनों से सेवा कर के क्रमशः ₹ 26.94 लाख तथा ₹ 15.98 लाख जमा करवा दिए। इसके परिणामस्वरूप, नगरपालिकाओं को हानि हुई।

नगर निगम, गुड़गांव ने बताया (फरवरी 2016) कि संबंधित किराएदारों से ब्याज सहित सेवा कर वसूल करने की प्रक्रिया जारी थी जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद थानेसर ने बताया (फरवरी 2016) कि सेवा कर जमा करवाने के लिए किराएदारों को मांग नोटिस जारी कर दिए गए थे।

मामला, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेज दिया गया था (अगस्त 2014 से जनवरी 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

¹⁷ वर्ष 2008-09 तथा 2012-13 से 2013-14 तक के लिए 12.36 प्रतिशत तथा वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लिए 10.30 प्रतिशत।

4.5 निधियों का विपथन

राजीव गांधी शहरी विकास मिशन हरियाणा (आर.जी.यू.डी.एम.एच.) के लिए वेट पर सरचार्ज के हिस्से के अंतर्गत अनुदान के प्रयोग के लिए मार्गनिर्देशों के अनुसार अनुदान शहरी मूलभूत संरचना जैसे स्वच्छता, सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंध तथा अन्य नागरिक मूलभूत संरचना के लिए प्रयोग किया जाना था। इसी प्रकार, केन्द्रीय वित्त आयोग (सी.एफ.सी.) की अनुशंसाओं पर निधियां जारी करते समय सरकार द्वारा जारी संस्वीकृतियों में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया कि निधियां केवल विकासात्मक कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी।

नगर परिषद, नरवाना के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2012 से मार्च 2014) ने प्रकट किया कि राज्य सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंध सुविधा की स्थापना के लिए भूमि खरीद के लिए आर.जी.यू.डी.एम.एच. के अंतर्गत ₹ 3 करोड़ राशि की निधियां जारी की (अगस्त 2013)। बाद में, निदेशक, यू.एल.बीज ने विकासात्मक कार्यों के लिए ऋण के तौर पर ₹ 3 करोड़ में से ₹ 2 करोड़ इस शर्त पर अनुमत किए (अक्टूबर 2013) कि एम.सी. निधियों को ब्याज सहित लेखा को वापस कर देगा। तथापि, इसको अभी तक (दिसंबर 2015) एम.सी. द्वारा वापस नहीं किया गया है। एम.सी., नरवाना ने मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में स्टाफ के वेतन के भुगतान की तरफ ₹ 0.95 करोड़ विपथित किए थे। इस प्रकार, ₹ 3 करोड़ में से, ₹ 2.95 करोड़ अन्य गतिविधियों के लिए विपथित कर दिए थे।

इसी प्रकार, तीन¹⁸ नगरपालिकाओं ने आर.जी.यू.डी.एम.एच. के लिए तथा सी.एफ.सी. की अनुशंसाओं के अंतर्गत जारी अनुदानों में से स्टाफ के वेतन एवं बकाया, मजदूरी, आडिट फीस आदि के भुगतान के लिए ₹ 1.72 करोड़ राशि की निधियां विपथित कर दी। इसके परिणामस्वरूप, उस सीमा तक म्यूनिसिपल क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों का निष्पादन नहीं हुआ।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, थानेसर ने बताया (फरवरी 2016) कि वेतन तथा अन्य भत्ते सी.एफ.सी. अनुदान में से भुगतान किए गए थे क्योंकि म्यूनिसिपल फंड में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निधियां विकास कार्यों के लिए अभिप्रेत थी।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेज दिया गया था (अगस्त 2014 से जनवरी 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

4.6 चैक के डिसऑनर के कारण राजस्व की अवसूली

नगर निगम गुड़गांव तथा फरीदाबाद के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि इन नगर निगमों ने जुलाई 2011 से मार्च 2014 के दौरान चैकों द्वारा गृहकर, फायर कर, फीस/शुल्क, निविदाओं की अर्नेस्ट मनी डिपोजिट आदि के कारण 1,115 मामलों में ₹ 4.17 करोड़ (परिशिष्ट 12) प्राप्त किए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ये राशियां वसूल नहीं की जा सकी क्योंकि वैधता अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किए जाने के कारण बैंकों द्वारा चैक डिसऑनर कर दिए गए थे।

¹⁸ नगर परिषद थानेसर: ₹ 121.46 लाख; नगर परिषद सिरसा: ₹ 30.29 लाख तथा नगर परिषद पलवल: ₹ 20.60 लाख।

नगरपालिकाओं ने देय राशि की वसूली हेतु इन भुगतानकर्त्ताओं के विरुद्ध दावों का प्रस्तुतिकरण दर्शाने वाला कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.17 करोड़ की राशि के राजस्व की हानि हुई (परिशिष्ट 12)।

मुख्य लेखा अधिकारी, नगर निगम गुड़गांव ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (फरवरी 2016) कि ₹ 1.31 करोड़ राशि वाले बाउसंड चैकों के सभी मामलों के संबंध में मांग नोटिस जारी कर दिए गए थे और 12 मामलों में ₹ 2.03 लाख वसूल कर लिए गए थे। यह भी बताया गया कि शेष राशि को वसूल करने के प्रयत्न किए जा रहे थे।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, को भेज दिया गया था (अगस्त 2014 से जनवरी 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

4.7 सेवा प्रदाताओं द्वारा सांविधिक देयताओं का निर्वहन सुनिश्चित किए बिना भुगतान

सेवाओं/गतिविधियों की आउटसोर्सिंग के लिए हरियाणा सरकार की नीति (फरवरी 2009) तथा जनवरी 2011 में आगे दिए गए निर्देशों के अनुसार, सेवा प्रदाता/एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के अंतर्गत मानव शक्ति नियुक्त करते समय, यह सुनिश्चित करना कि नियुक्त एजेंसी/सेवा प्रदाता सभी श्रम कानूनों यानि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, आदि के प्रावधानों का पालन करती है, विभाग (मुख्य नियोक्ता) की जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार को निर्धारित फार्मेट (विभाग, ठेकेदार, कर्मचारियों का ई.एस.आई. कोड, पी.एफ. संख्या, मजदूरी के लिए किए गए चैक वार भुगतान, ई.एस.आई., पी.एफ. आदि की सूचना से समायुक्त) में मासिक डोजियर को प्रस्तुत करने हेतु कहा जाना चाहिए। ठेकेदार की चूक के मामले में विभाग अनुबंध को खत्म करने पर विचार कर सकता है।

नगर परिषद, रेवाड़ी के अभिलेखों की संवीक्षा (2011-14) ने प्रकट किया कि ठेका संबंधी कर्मचारियों (परिशिष्ट 13) द्वारा किए गए स्वच्छता कार्यों के लिए मजदूरी, ई.एस.आई. तथा ई.पी.एफ. के लिए संबंधित नगरपालिका द्वारा सेवा प्रदाता को ₹ 1.67 करोड़ की एक राशि भुगतान की गई थी। ₹ 1.67 करोड़ का समग्र भुगतान, नीति में अपेक्षित अनुसार मासिक डोजियर प्राप्त किए बिना किया गया था।

इसी प्रकार, नगर निगम, गुड़गांव ने निगम के विभिन्न विंगों को मानव शक्ति प्रदान करने के लिए ई.पी.एफ., ई.एस.आई. तथा सेवा कर के लिए दो फर्मों (परिशिष्ट 13) को ₹ 2.80 करोड़ जारी किए (अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक)। फर्मों ने, फर्मों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई. लेखाओं को खोलने या सरकारी खातों में जमा को दर्शाने वाले कोई रिकार्ड निगम को प्रस्तुत नहीं किए थे। आगे, फर्मों ने, न तो सेवाकर प्रमाण-पत्र और न ही उनके द्वारा भुगतान किए गए सेवा कर जमा को दर्शाने वाले चालान प्रस्तुत किए।

नगर निगम गुड़गांव ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि ₹ 2.80 करोड़ में से, ₹ 1.86 करोड़ संबंधित प्राधिकारियों के पास सेवा प्रदाताओं द्वारा जमा करवा दिए गए थे तथा शेष (₹ 0.94 करोड़) राशि भी जमा करवा दी जाएगी।

इस प्रकार, नीति अपेक्षाओं की अननुपालना न केवल कार्मिकों के हित को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है बल्कि इसके परिणामस्वरूप सेवा प्रदाताओं द्वारा दुरुपयोग भी हो सकता है।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेज दिया गया था (अगस्त 2014 से जनवरी 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

4.8 मस्टर रोलज का गलत रख-रखाव

नगर परिषद (एम.सी.) रेवाड़ी के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मस्टर रोलज पर विकास कार्यों के निष्पादन के लिए मार्च 2013 से मार्च 2014 के दौरान 524 मजदूरों को ₹ 28.74 लाख की राशि भुगतान की गई दर्शाई गई थी। मस्टर रोलज पर मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान उनके नाम के सामने चिह्नित नहीं पाए गए थे। नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी जो भुगतान करने से पहले नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार था, ने हस्ताक्षर/अंगूठा निशान प्राप्त किए बिना भुगतान के लिए बिल पास कर दिए। ऐसे भुगतान निधियों के दुरुपयोग के जोखिम से परिपूर्ण हैं।

एम.सी. के कार्यकारी अधिकारी ने तथ्यों को स्वीकार किया (मई 2014) तथा बताया कि संबंधित अधिकारी को मजदूरों से मस्टर रोलज/एक्वेटंस रोलज पर हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान लेने के निदेश दे दिए गए थे।

मामला, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेज दिया गया था (जुलाई 2014 से नवंबर 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

4.9 ठेकेदारों को अनुचित लाभ

(i) बिटुमन/इमल्सन की दर में वृद्धि के लिए अविवेकी प्रतिपूर्ति

नगर निगम (एम.सी.) फरीदाबाद ने “*हार्डवेयर चौक से सोहना रोड, एन.आई.टी., वार्ड नं. 2, फरीदाबाद तक डुअल कैरिज-वे का निर्माण*” कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की (अक्टूबर 2007)। कार्य मई 2008 में एक ठेकेदार को आबंटित किया गया था। अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार कार्य मार्च 2009 तक पूरा किया जाना था तथा बिटुमन/इमल्सन की दरों में वृद्धि के कारण, एजेंसी को किसी कारण से प्रदान की गई समय सीमा की बढ़ोतरी से असम्बद्ध, जो भी हो, निर्माण के लिए अनुमत मूल समय अवधि के बाद ठेकेदार को किसी लागत वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कार्य पूर्णता के लिए निर्धारित समय (मार्च 2009) के भीतर पूरा नहीं किया गया था। तथापि, अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों के उल्लंघन में मार्च 2009 के पश्चात् बिटुमन की लागत में वृद्धि के कारण ठेकेदार को ₹ 21.57 लाख का

भुगतान किया गया था (जनवरी 2014)। इस प्रकार, एम.सी. ने ठेकेदार को ₹ 21.57 लाख का अनुचित लाभ प्रदान किया।

एम.सी. ने बताया (फरवरी 2016) कि ठेकेदार को किया गया अधिक भुगतान अंतिम भुगतान करने से पहले वसूल कर लिया जाएगा तथा कि म्यूनिसीपल इंजीनियरिंग ब्रांच से अंतिम बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था।

(ii) न्यूनतम बोलीदाता को स्वच्छता कार्य निविदा का आबंटन न करना

एम.सी. फरीदाबाद ने ₹ 5 करोड़ प्रति वर्ष की अनुमानित लागत पर म्यूनिसीपैलिटी के ओल्ड फरीदाबाद जोन में स्वच्छता कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की (जून 2011)। न्यूनतम निविदा ₹ 50.68 लाख प्रति माह थी। तथापि, निविदा आरंभ में ₹ 51.87 लाख प्रति माह की दर पर दूसरी फर्म को एक माह (5 नवंबर 2011 से 4 दिसंबर 2011) के लिए आबंटित की गई थी (सितंबर 2011) जो कि बाद में अक्टूबर 2013 तक बढ़ा दी गई थी। न्यूनतम बोलीदाता को निरस्त करने का कारण यह बताया गया था कि एजेंसी को पहले ही बल्लभगढ़ जोन की सफाई का कार्य आबंटित किया गया है।

न्यूनतम बोलीदाता को निरस्त करने हेतु एम.सी. के निर्णय के कारण एम.सी. को ₹ 28.56 लाख का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को संदर्भित किया गया था (अप्रैल 2014 से दिसंबर 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

4.10 सोसाइटी को अदेय लाभ

हरियाणा नगरपालिका सम्पत्तियां तथा राज्य सम्पत्तियां प्रबंधन नियम, 2007 (नियम) के नियम 9 के अनुसार एक म्यूनिसीपैलिटी संस्थागत प्रयोजनों के लिए एक पंजीकृत सोसाइटी को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से 99 वर्षों की अवधि के लिए एक आवेदक को लीज होल्ड आधार पर साइट/बिल्डिंग का आबंटन कर सकती है। यह नियम के नियम 9 (1) से 9(2) में उल्लिखित शर्त को पूर्ण करने के अधीन है कि सोसाइटी किसी लाभ के बिना क्षेत्र के लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही थी; भूमि का मूल्य कलैक्टर द्वारा यथा निर्धारित पास-पड़ोस में विद्यमान बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत था। आगे, राज्य सरकार लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए लोक हित में इस नियम के सभी या किसी प्रावधान में छूट प्रदान कर सकती है (नियम 22)।

तीन म्यूनिसीपैलिटीज¹⁹ के अभिलेखों की संवीक्षा (2011-14) ने प्रकट किया कि तत्रैव नियम के नियम 22 के अंतर्गत छूट लेने के पश्चात् ₹ 10,000 प्रति वर्ष के मूल्य पर, अर्थात् प्रत्येक मामले में ₹ 9.90 लाख हेतु, संस्थागत प्रयोजन हेतु 99 वर्ष के लिए लीज होल्ड आधार पर मॉडल स्कूल सोसाइटी, रोहतक (सोसाइटी) को 17.69²⁰ एकड़ भूमि आबंटित की गई थी (अक्टूबर 2013 से जनवरी 2014)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि राज्य सरकार ने लोक

¹⁹ नगरपालिका (एम.सी.) सांपला, कलानौर तथा मेहम।

²⁰ एम.सी. सांपला की 5.94 एकड़; एम.सी. कलानौर की 6.75 एकड़ तथा एम.सी. मेहम की 5.00 एकड़।

हित में ऐसी निम्न दरों पर भूमि को लीज पर देने के लिए दरों की छूट के लिए कोई विशिष्ट कारण दर्ज नहीं किए। इस प्रकार सोसाइटी को अनुचित लाभ दिया गया था।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को संदर्भित किया गया था (फरवरी 2015 से जनवरी 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

4.11 अनुदानों की उपयोगिता के लिए तेरहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना

(i) म्यूनिसिपैलिटीज को अनुदान जारी करने में विलंब के कारण ब्याज देयता

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग (एफ.सी.- XIII) की सिफारिशों पर सहायतानुदान के रूप में निधियां जारी करते समय विनिर्दिष्ट किया (सितंबर 2010) कि सुलभ बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों के मामले में केन्द्रीय सरकार से प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर तथा असुलभ बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों के मामले में दस दिनों के भीतर स्थानीय निकायों को निधियां अन्तरित की जानी चाहिए। किसी प्रकार के विलंब में, राज्य सरकार द्वारा आर.बी.आई. की बैंक दर पर ब्याज सहित किस्त जारी की जानी अपेक्षित होगी।

भारत सरकार ने एफ.सी.- XIII की सिफारिशों पर बेसिक अनुदानों की पहली किस्त के रूप में ₹ 25.37 करोड़ जारी किए (3 अक्टूबर 2011)। राज्य सरकार ने 17 दिनों (25 अक्टूबर 2011) के विलंब के साथ म्यूनिसिपैलिटीज को अनुदान अन्तरित किए। निधियों के अन्तरण में विलंब के कारण म्यूनिसिपैलिटीज को ₹ 7.09 लाख का ब्याज देय था। इसी प्रकार, भारत सरकार ने निष्पादन अनुदानों के रूप में ₹ 19.77 करोड़ जारी किए (6 अगस्त 2013)। इसमें से ₹ 12.10 करोड़ 20 दिनों के विलंब के साथ म्यूनिसिपैलिटीज को अन्तरित किए थे (31 अगस्त 2013) जबकि ₹ 7.67 करोड़ की शेष निधियां निर्धारित अवधि के भीतर अन्तरित की गई थी। म्यूनिसिपैलिटीज को निधियों के अन्तरण में विलंब के कारण राज्य सरकार द्वारा ₹ 6.80 लाख का ब्याज देय था। कुल ब्याज देयता ₹ 13.89 लाख (परिशिष्ट 14) परिकलित की गई जिसका भुगतान नहीं किया गया था (जनवरी 2016)।

(ii) म्यूनिसिपैलिटीज द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) का अप्रस्तुतिकरण

एफ.सी.- XIII की सिफारिशों पर प्राप्त अनुदान निदेशक, यू.एल.बीज को, उन्हें म्यूनिसिपैलिटीज को अन्तरण के लिए, जारी करते समय राज्य सरकार ने निर्धारित किया कि राशि, खजाने से राशि के आहरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर खर्च की जाएगी तथा उपयोगिता अवधि की समाप्ति के पश्चात् संबंधित म्यूनिसिपैलिटीज द्वारा निदेशक, यू.एल.बीज को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

2010-11 से 2013-14 के दौरान भारत सरकार ने एफ.सी.- XIII की सिफारिशों पर सामान्य बेसिक तथा निष्पादन अनुदानों के रूप में ₹ 318.36 करोड़ की राशि किस्तों में जारी की। राज्य सरकार ने आगे म्यूनिसिपैलिटीज को अन्तरण के लिए निधियां निदेशक, यू.एल.बीज को जारी की। निदेशक, यू.एल.बीज ने म्यूनिसिपैलिटीज से ₹ 143.48 करोड़ (45.07 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए (परिशिष्ट 15) तथा म्यूनिसिपैलिटीज

द्वारा ₹ 234.30 करोड़ (73.60 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए (अगस्त 2015)। इस प्रकार, यू.सी.जी की प्राप्ति के बिना म्यूनिसिपैलिटीज को अनुदान अन्तरित किए गए थे। इसने म्यूनिसिपैलिटीज द्वारा निधियों की उपयोगिता पर निदेशालय द्वारा मॉनीटरिंग की कमी दर्शाई।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को संदर्भित किया गया था (अगस्त 2015 से जनवरी 2016); उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

(महुआ पाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

चण्डीगढ़

दिनांक:

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 4)

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में लगाए गए स्टॉफ
(तकनीकी एवं गैर - तकनीकी) की स्थिति

क्र.सं.	पद का नाम	संस्वीकृत पद	तैनाती	रिक्त
1.	सहायक निदेशक	2	2	0
2.	लीगल आफिसर	25	17	8
3.	अधीक्षक	10	6	4
4.	उप - अधीक्षक	50	34	16
5.	सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी	126	34	92
6.	जूनियर इंजीनियर	522	415	107
7.	सहायक	317	218	99
8.	लेखाकार	159	138	21
9.	लेखा लिपिक	154	32	122
10.	लिपिक	356	189	167
11.	सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर	3	0	3
12.	जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर	3	2	1
13.	स्टेनो टाईपिस्ट	171	36	135
14.	ड्राईवर	170	135	35
15.	ग्राम सचिव	2,237	1,802	435
16.	पटवारी	116	43	73
17.	चपरासी	504	354	150
18.	चौकीदार	143	60	83
19.	स्वीपर	31	26	5
20.	दफतरी	1	1	0
21.	मशीनमैन	1	1	0
22.	जमादार	2	1	1
23.	कुक	4	2	2
24.	हेड ड्राफ्ट्समैन	23	22	1
25.	ड्राफ्ट्समैन	26	26	0
कुल		5,156	3,596	1,560

परिशिष्ट 2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 4)

राज्य में जिला परिषदों में लगाए गए स्टॉफ (तकनीकी एवं गैर - तकनीकी) की स्थिति

क्र.सं.	पद का नाम	संस्वीकृत पद	तैनाती	रिक्त
1.	लेखा अधिकारी	21	10	11
2.	अधीक्षक	21	0	21
3.	लेखाकार	21	7	14
4.	सहायक	40	12	28
5.	सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर	21	1	20
6.	स्टेनो टाईपिस्ट	21	6	15
7.	लिपिक	21	5	16
8.	लेखा लिपिक	21	9	12
9.	ड्राईवर	21	9	12
10.	चौकीदार - सह - माली	21	3	18
11.	चपरासी	40	16	24
12.	स्वीपर	21	4	17
कुल		290	82	208

परिशिष्ट 3

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6; पृष्ठ 7)

नमूना – जांच की गई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की सूची

क्र. सं.	पंचायत समितियों के नाम	ग्राम पंचायतों के नाम
1.	बी.डी.पी.ओ. पानीपत	(1) बबैल, (2) कुटानी, (3) राजा खेड़ी, (4) झाटीपुर
2.	बी.डी.पी.ओ. इसराना	(1) पठारी, (2) झोंधांकलां, (3) चमरारा, (4) प्रधाना
3.	बी.डी.पी.ओ. समालखा	(1) ढींडर, (2) हल्दाणा, (3) वजीरपुर टिटाणा, (4) किवाणा, (5) करहंस
4.	बी.डी.पी.ओ. बपोली	(1) जलालपुर-2, (2) डडोला, (3) गोयला कलां, (4) गोयला खुर्द, (5) जलमाणा
5.	बी.डी.पी.ओ. मतलोडा	(1) कावी, (2) कालखा, (3) अहमदपुर माजरा, (4) जोशी, (5) शेरा
6.	बी.डी.पी.ओ. फतेहाबाद	(1) भरोलावाली, (2) बिसलू, (3) दांगर, (4) ढाणी थोबा, (5) धारनियां, (6) गीलां खेड़ा, (7) हरिपुरा, (8) नुरक्की अहेली, (9) शहीदावाली
7.	बी.डी.पी.ओ. रतिया	(1) भारपुर, (2) चन्डो खुर्द, (3) दादूपुर, (4) हंसपुर, (5) कलोथा, (6) लुथारा, (7) महमदकी, (8) रायपुर, (9) सुखमणपुर
8.	बी.डी.पी.ओ. जारवल	(1) गुल्लरवाला, (2) मूसा खेड़ा, (3) रत्ता थे, (4) मर्योड बोंगोवा
9.	बी.डी.पी.ओ. भट्टकलां	(1) खबरा कलां, (2) पिल्लीमंडोरी, (3) थुईयां, (4) मेहूवाला, (5) भट्टू मंडी
10.	बी.डी.पी.ओ. टोहाना	(1) बाढी खेड़ा, (2) चन्दर खुर्द, (3) धरसुल खुर्द, (4) हिन्दलवाला, (5) खनोरा, (6) राठा खेड़ा
11.	बी.डी.पी.ओ. भूना	(1) खासा पठाना, (2) बुवान, (3) डल्ट, (4) जंडली खुर्द, (5) नढोरी
12.	बी.डी.पी.ओ. हिसार I	(1) मिर्जापुर, (2) लाडवा, (3) नलवा, (4) गंगवा, (5) भगाणा
13.	बी.डी.पी.ओ. हिसार II	(1) आर्यनगर, (2) हिन्डवां, (3) रलवास खुर्द, (4) पातन, (5) सेलमगढ़
14.	बी.डी.पी.ओ. हांसी I	(1) भाटला, (2) दयालसिंह कालोनी, (3) ढाणा कलां, (4) धर्मपुरा, (5) घिराई, (6) गुराणा, (7) माजद, (8) कुलाना, (9) सैणीपुरा, (10) उमरा
15.	बी.डी.पी.ओ. हांसी II	(1) बडाला, (2) बड छप्पर, (3) बास बादशाहपुर, (4) भकलाणां, (5) खांडाखेड़ी, (6) खेड़ा रगराण, (7) मोहला, (8) रोशन खेड़ा, (9) सीसर, (10) थुराणां
16.	बी.डी.पी.ओ. नारनौद	(1) भैणी अमीरपुर, (2) ढाणी ब्राहमण, (3) लोहारी राघो, (4) हैबतपुर, (5) मिलकपुर
17.	बी.डी.पी.ओ. आदमपुर	(1) आदमपुर, (2) ढाणी मुहब्बतपुर, (3) मंडी आदमपुर, (4) मुहब्बतपुर, (5) सिसवल
18.	बी.डी.पी.ओ. बरवाला	(1) जुगलाण, (2) सोठा, (3) गबीपुर, (4) ढाणी प्रेमनगर, (5) पंधाल
19.	बी.डी.पी.ओ. उकलाना	(1) दौलतपुर, (2) सूरवाला, (3) मदनपुरा, (4) लिटानी, (5) कांडुल
20.	बी.डी.पी.ओ. अग्रोहा	(1) फरांसी, (2) सिवानी बोलां, (3) दुर्जनपुरा, (4) कुलेड़ी, (5) शाम सुख
21.	बी.डी.पी.ओ. बेरी	(1) छोछी, (2) मांगावास, (3) पहाड़ीपुर, (4) सेरिया, (5) बेरहाणा, (6) गोधरी, (7) पालड़ा
22.	बी.डी.पी.ओ. मातनहेल	(1) ग्वालीसन, (2) झाड़ली, (3) खेड़ी होसदारपुर, (4) नोगांव, (5) बाहू, (6) झामड़ी, (7) मरौत
23.	बी.डी.पी.ओ. साल्हावास	(1) चांडुल, (2) चांदपुर, (3) दादापुर, (4) ढाणा, (5) जैतपुर, (6) कांवा, (7) बिठला, (8) ढाकला
24.	बी.डी.पी.ओ. नाहर	(1) खेड़ी, (2) तुमाणा, (3) नांगल, (4) बास रतनथल, (5) लुलाअहीर, (6) भुरथला, (7) झाल बीर सरकार, (8) झरोडा, (9) लुखी, (10) कोसली, (11) गुज्जर वास, (12) श्यामनगर

कुल जी.पी.ज: 150 जी.पी.ज

परिशिष्ट 4
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 10)
मनरेगा के अंतर्गत मजदूरियों के भुगतान में विलंब दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	वर्ष	15 - 30 दिनों के मध्य विलंबित भुगतान		30 - 60 दिनों के मध्य विलंबित भुगतान		60 - 90 दिनों के मध्य विलंबित भुगतान		90 दिनों से अधिक विलंबित भुगतान		(राशि ₹ लाख में) कुल विलंब	
			ट्रांजेक्शनस	राशि	ट्रांजेक्शनस	राशि	ट्रांजेक्शनस	राशि	ट्रांजेक्शनस	राशि	ट्रांजेक्शनस	राशि
1.	भूना	2013-14	3,078	47.66	4,646	67.07	958	7.61	589	5.63	9,271	127.97
2.	टोहाना	2012-13	2,179	26.48	626	6.97	86	0.50	0	0.00	2,891	33.95
		2013-14	5,590	81.34	3,434	36.85	519	7.03	182	3.18	9,725	128.40
3	फतेहाबाद	2012-13	1,686	18.89	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1,686	18.89
		2013-14	2,505	26.54	3,642	47.31	1,083	12.91	111	0.56	7,341	87.32
	योग		15,038	200.91	12,348	158.20	2646	28.05	882	9.37	30,914	396.53
4.	बहादुरगढ़	2012-13	217	4.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	217	4.94
		2013-14	95	2.65	0	0.00	2	0.06	0	0.00	97	2.71
5.	बेरी	2012-13	16	0.15	24	0.36	0	0.00	0	0.00	40	0.51
		2013-14	212	5.58	21	0.44	14	0.32	10	0.26	257	6.60
6.	झुंजर	2012-13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17	0.45	17	0.45
		2013-14	838	22.35	56	1.51	15	0.42	37	0.89	946	25.17
7.	मातनहेल	2012-13	141	3.26	60	1.48	0	0.00	0	0.00	201	4.74
		2013-14	620	14.04	243	6.88	0	0.00	0	0.00	863	20.92
8.	साल्हावास	2012-13	99	2.06	8	0.08	40	0.99	24	0.59	171	3.72
		2013-14	388	9.81	28	0.61	110	2.98	6	0.14	532	13.54
	योग		2,626	64.84	440	11.36	181	4.77	94	2.33	3341	83.30
	कुल योग		17,664	265.75	12,788	169.56	2,827	32.82	976	11.70	34,255	479.83

परिशिष्ट 5
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3; पृष्ठ 11)

पूर्व सरपंचों/पंचों से वसूलनीय राशि दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	बी.डी.पी.ओ. का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पूर्व सरपंचों/ पंचों की संख्या	अवधि	राशि (₹ लाख में)
1.	बेरी (झज्जर)	छोछी	1	2005-10	13.98
		पलारा	1	2005-10	0.75
		सेरिया	1	2005-10	0.62
		मांगावास	1	1995-2000	0.16
2.	साल्हावास (झज्जर)	कांवा	1	2005-10	0.76
		नीलाहेड़ी	1	2005-10	0.36
		सरोला	1	2000-2005	0.12
3.	फतेहाबाद	बीघर	1	2000-2005	0.10
		छिन्दर	1	2000-2005	0.41
		ढाणी बीजणा लांबा	1	2005-10	0.35
		ढाणी थोबा	1	2005-10	0.20
		शहीदावाली	1	2005-10	0.10
		भरोलावाली	1	2005-10	0.05
		काजलहेड़ी	1	2005-10	0.01
4.	आदमपुर (हिसार)	मोहब्बतपुर	1	2008-11	1.43
कुल			15		19.40

परिशिष्ट 6
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 11)

पंचायत भूमि का अप्राधिकृत स्वामित्व/अतिक्रमण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	बी.डी.पी.ओ. का नाम	क्र. सं.	जी.पी. /गांव का नाम	क्षेत्र (एकड़ में)	औसत दर (₹ लाख प्रति एकड़)	राशि (₹ लाख में)
1.	रतिया	1.	बादलगढ़	27.55	12.00	330.60
		2.	कावलगढ़	14.13	12.00	169.56
2.	मातनहेल	3.	बाम्बुलिया	2.00	19.00	38.00
		4.	हुमायूपुर	4.00	1.00	4.00
		5.	रेडूवास	2.00	1.00	4.00
3.	साल्हावास	6.	बाबेपुर	1.02	10.54	10.75
		7.	चंदोल	20.30	10.00	203.00
		8.	चांदपुर	4.99	10.00	49.90
		9.	दादनपुर	8.80	10.00	88.00
		10.	ढाणा	54.51	13.60	741.34
		11.	जैतपुर	3.79	10.00	379.00
		12.	कांवा	1.05	10.00	10.50
		13.	कासनी	2.82	10.00	28.20
		14.	मुबारिकपुर	0.53	10.00	5.30
		15.	सरोला	15.23	10.00	152.30
		16.	सुबाना	30.99	10.00	309.90
		17.	सुरहेटी	0.42	10.00	4.20
18.	तुंबहेड़ी	13.68	10.00	13.68		
4.	हांसी - II	19.	सिंगवा खास	0.08	13.00	1.04
		20.	सिसर	0.07	13.00	0.91
		21.	भकलाना	0.05	13.00	0.65
		22.	पुट्ठी समैण	35.67	13.00	463.71
5.	मडलौडा	23.	भालसी	72.20	15.50	1,119.10
		24.	भण्डारी	22.81	13.50	307.94
		25.	मडलौडा	6.20	15.50	96.10
		26.	सुताना	18.41	15.50	285.36
		27.	बेगमपुर भापनोठ	15.75	13.50	212.63
कुल				379.05	कुल	5,029.67

परिशिष्ट 7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5; पृष्ठ 12)

पी.आर.आईज को जारी एफ.सी. – XIII अनुदानों के संबंध में प्राप्त
और लंबित उपयोगिता प्रमाण – पत्र दर्शाने वाली विवरणी

सामान्य बेसिक अनुदान

राशि (₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	पी.आर.आईज को जारी अनुदान की राशि	राशि, जिसके लिए पी.आर.आईज से यू.सीज प्राप्त किए गए	राशि, जिसके लिए पी.आर.आईज से यू.सीज प्राप्त नहीं किए गए
1.	2010-11	10,116.00	4,646.58	5,469.42
2.	2011-12	12,680.00	1,389.76	11,290.24
3.	2012-13	14,404.66	665.06	13,739.60
4.	2013-14	16,617.82	125.81	16,492.01
5.	2014-15	18,163.51	0	18,163.51
कुल		71,981.99	6,827.21 (9.48 प्रतिशत)	65,154.78 (90.52 प्रतिशत)

निष्पादन/जब्त निष्पादन अनुदानों

राशि (₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	पी.आर.आईज को जारी अनुदान की राशि	राशि, जिसके लिए पी.आर.आईज से यू.सीज प्राप्त किए गए	राशि, जिसके लिए पी.आर.आईज से यू.सीज प्राप्त नहीं किए गए
1	2011-12	4,368.33	361.59	4,006.74
2	2012-13	10,234.34	458.19	9,776.15
3	2013-14	12,506.56	125.25	12,381.31
4	2014-15	10,242.75	0	10,242.75
* कुल		37,351.98	945.03 (2.53 प्रतिशत)	36,406.95 (97.47 प्रतिशत)

अनुदानों (बेसिक अनुदान तथा निष्पादन/जब्त अनुदान) की राशि का कुल योग ₹ 1,093.34 करोड़

पी.आर.आईज से प्राप्त यू.सी. की राशि का कुल योग (बेसिक अनुदान तथा निष्पादन/जब्त अनुदान) ₹ 77.72 करोड़ (7.10 प्रतिशत)

* सितंबर 2013 में ब्याज के रूप में पी.आर.आईज को अन्तरित ₹ 9.02 लाख भी राशि में शामिल हैं।

परिशिष्ट 8

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1.7.3; पृष्ठ 25)

उन व्यक्तियों, जिन्हें डी.पी.आर. में संस्वीकृति नहीं दी गई थी, को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	स्लम एरिया का नाम	डी.पी.आर. के अनुसार मकानों की संख्या	अंतिम सूची के अनुसार मकानों की संख्या	एडीशन	राशि (₹ करोड़ में)
	परियोजना: भिवानी	सबसिडी की अधिकतम दर ₹ 72,000 प्रति आवासीय इकाई			
1.	बाल्मिकी बस्ती	70	329	259	1.86
2.	ग्वार फेक्टरी - सेवा नगर के पीछे बस्ती	26	137	111	0.80
3.	दुर्गा कालोनी	100	102	02	0.01
4.	खुमारन मोहल्ला	70	84	14	0.10
5.	पी.एस. आजाद मोहल्ला हाल्लु	0	66	66	0.48
6.	संजीव कालोनी और ब्रिजवासा कालोनी	66	96	30	0.22
7.	शिव नगर कालोनी	30	110	80	0.58
8.	टेलेवारा (धांक बस्ती बवारी गेट)	0	82	82	0.59
	कुल	362	1,006	644	4.64
	परियोजना: दादरी	सबसिडी की अधिकतम दर ₹ 72,000 प्रति आवासीय इकाई			
1	चंपापुरी / विवेक नगर	28	49	21	0.15
2	गांधी नगर	09	15	06	0.04
3	बाल्मिकी बस्ती	65	82	17	0.12
4	धानक बस्ती	165	244	79	0.57
	कुल	267	390	123	0.89
	परियोजना: हिसार - I	सबसिडी की अधिकतम दर ₹ 72,000 प्रति आवासीय इकाई			
1	सूर्यनगर	66	103	37	0.27
2	शिव कालोनी	15	20	05	0.04
3	रामनगर	06	07	01	0.01
4	महावीर कालोनी	34	36	02	0.01
5	दुर्गा कालोनी	31	32	01	0.01
6	मोहल्ला राजपूताना	11	14	03	0.02
	कुल	163	212	49	0.35
	परियोजना: हिसार - II	सबसिडी की अधिकतम दर ₹ 90,000 प्रति आवासीय इकाई			
1	देवनगर / चन्द्रलोक कालोनी	20	71	51	0.46
2	शास्त्री नगर	23	76	53	0.48
3	फ्रेंड्स कालोनी	15	22	07	0.06
	कुल	58	169	111	1.00
	परियोजना: जींद	सबसिडी की अधिकतम दर ₹ 90,000 प्रति आवासीय इकाई			
1	शर्मा नगर	107	149	42	0.38
2	जोगिन्दर नगर	45	69	24	0.22
3	ओम् नगर	89	112	23	0.21
4	विश्वकर्मा कालोनी	96	117	21	0.19
5	हनुमान नगर	60	67	7	0.06
	कुल	397	514	117	1.05
	परियोजना: जगाधरी - I	सबसिडी की अधिकतम दर ₹ 72,000 प्रति आवासीय इकाई			
1	बसंत नगर	04	06	02	0.01
2	गणेश नगर	02	05	03	0.02
3	गुलाब नगर	20	112	92	0.66
4	हरिजन मांजरी	40	90	50	0.36

क्र. सं.	स्लम एरिया का नाम	डी.पी.आर. के अनुसार मकानों की संख्या	अंतिम सूची के अनुसार मकानों की संख्या	एडीशन	राशि (₹ करोड़ में)
5	काली मंदिर	20	40	20	0.14
6	मनोहर कालोनी	05	11	06	0.04
7	मोहन नगर	10	11	01	0.01
8	नालाघर की मांजरी	20	77	57	0.41
9	रामनगर (पबनी रोड़)	06	11	05	0.04
10	तपस्या हरि प्रसाद	05	71	66	0.48
11	तपस्या मंडखेड़ी	20	81	61	0.44
12	उधमघर की माजरी	25	71	46	0.33
	कुल	177	586	409	2.94
	परियोजना: यमुनानगर - I	सबसिडी की अधिकतम दर ₹ 90,000 प्रति आवासीय इकाई			
1	आजादनगर और गोल्डन कालोनी	0	24	24	0.22
2	खड्डा कालोनी और ब्रह्मपुरी	13	122	109	0.98
3	आनन्द कालोनी और आत्मापुरी	0	37	37	0.33
4	शिवनगर	0	27	27	0.24
5	वीना नगर	10	25	15	0.14
6	ससौली माजरी	03	83	80	0.72
7	जोगिन्दर नगर	24	38	14	0.13
8	हरबंसपुरा	18	24	06	0.05
9	कृष्णानगर कालोनी	14	17	03	0.03
10	टैगोर गार्डन	09	13	04	0.04
11	गांधीनगर	15	21	06	0.05
12	चांदपुर हरिजन माजरी	12	41	29	0.26
13	रंजीत नगर	16	45	29	0.26
14	लाजपतनगर	0	26	26	0.23
	कुल	134	543	409	3.68
	परियोजना: पंचकूला - I	सबसिडी की अधिकतम दर ₹ 72,000 प्रति आवासीय इकाई			
1	मलखान कालोनी/नंदराम कालोनी	109	134	25	0.18
2	रामलखन कालोनी	0	177	177	1.27
	कुल	109	311	202	1.45
	कुल योग	1,667	3,731	2,064	16.00

(स्रोत: चयनित डी.यू.डी.एज/एम.सीज से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट 9

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1.8.1; पृष्ठ 27)

मूलभूत संरचना विकास के लिए प्राप्त तथा व्यय की गई निधियों के
विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	कार्य की मर्दे	प्राप्त की गई निधियां	किया गया व्यय	शेष	प्रतिशतता
परियोजना: भिवानी		(₹ लाख में)			
1	जलापूर्ति	158.15	158.15	-	100
2	सीवरेज	249.14	249.14	-	100
3	ड्रेनेज	172.93	221.00	-48.07	112
4	सड़कें एवं गलियां	774.34	852.19	-77.85	100
5	स्ट्रीट लाइट्स	30.65	30.65	-	110
6	सामुदायिक शौचालय	38.80	38.80	-	100
7	सामुदायिक संरचना	124.80	124.80	-	100
	कुल	1,548.81	1,674.73	-125.92	108
परियोजना: हिसार - I					
1	जलापूर्ति	119.43	83.96	35.47	70
2	सीवरेज	201.64	201.64	0	100
3	ड्रेनेज	75.63	75.63	0	100
4	सड़कें एवं गलियां	377.81	377.81	0	100
5	स्ट्रीट लाइट्स	76.25	76.25	0	100
6	सामुदायिक संरचना	32.00	32.00	0	100
	कुल	882.76	847.29	35.47	96
परियोजना: हिसार - II					
1	सीवरेज	694.17	347.08	347.09	50
2	सड़कें एवं गलियां	311.07	155.54	155.53	50
3	स्ट्रीट लाइट्स	213.20	79.09	134.11	37
4	पार्क	88.39	44.20	44.19	50
5	सामुदायिक संरचना	107.64	107.64	0	100
	कुल	1,414.47	733.55	680.92	52
परियोजना: जींद					
1	जलापूर्ति	104.28	0	104.28	0
2	सीवरेज	158.64	0	158.64	0
3	ड्रेनेज	115.89	8.93	106.96	7
4	सड़कें एवं गलियां	540.59	61.64	478.95	10
5	स्ट्रीट लाइट्स	14.24	0	14.24	0
	कुल	933.64	70.57	863.07	8
परियोजना: जगाधरी - I					
1	जलापूर्ति	124.44	121.23	3.21	97
2	सीवरेज	933.43	896.00	37.43	96
3	ड्रेनेज	148.52	65.30	83.22	44
4	सड़कें एवं गलियां	346.42	303.00	43.42	87

क्र.सं.	कार्य की मर्दे	प्राप्त की गई निधियां	किया गया व्यय	शेष	प्रतिशतता
5	स्ट्रीट लाइट्स	41.51	36.20	5.31	87
6	सामुदायिक संरचना	14.88	6.00	8.88	40
	कुल	1,609.20	1,427.73	181.47	90
परियोजना: जगाधरी - II					
1	जलापूर्ति	58.42	39.50	18.92	68
2	सीवरेज	21.78	19.79	1.99	91
3	ड्रेनेज	188.27	75.56	112.71	40
4	सड़कें एवं गलियां	313.01	105.70	207.31	34
5	स्ट्रीट लाइट्स	12.93	11.68	1.25	90
	कुल	594.41	252.23	342.18	42
परियोजना: यमुनानगर - I					
1	ड्रेनेज	95.70	66.42	29.28	69
2	सड़कें एवं गलियां	273.70	115.82	157.88	42
3	स्ट्रीट लाइट्स	26.25	0	26.25	0
4	सामुदायिक संरचना	22.56	0	22.56	0
5	लाइवलीहुड सेंटर	18.05	0	18.05	0
6	इनफार्मल मार्किट	4.80	0	4.80	0
7	एनीमल पैन	5.61	0	5.61	0
8	जागिंग ट्रैक	12.00	0	12.00	0
9	रिक्शा स्टैंड	9.00	0	9.00	0
	कुल	467.67	182.24	285.43	39
परियोजना: यमुनानगर - II					
1	जलापूर्ति	92.70	69.88	22.82	75
2	सीवरेज	78.94	69.57	9.37	88
3	ड्रेनेज	57.02	0	57.02	0
4	सड़कें एवं गलियां	322.63	45.20	277.43	14
5	स्ट्रीट लाइट्स	30.64	29.92	0.72	98
6	सामुदायिक संरचना	47.62	22.20	25.42	47
7	पर्यावरण का सुधार	7.90	7.00	0.90	89
	कुल	637.45	243.77	393.68	38
परियोजना: दादरी					
1	जलापूर्ति	153.86	153.86	0	100
2	सीवरेज	201.87	201.87	0	100
3	ड्रेनेज	61.74	73.76	-12.02	119
4	सड़कें एवं गलियां	274.23	329.30	-55.07	120
5	स्ट्रीट लाइट्स	25.65	25.65	0	100
6	सामुदायिक शौचालय	9.70	9.70	0	100
	योग	727.05	794.14	-67.09	109
	कुल योग	8,815.46	6,226.25	2,589.21	71

(स्रोत: चयनित डी.यू.डी.एज/एम.सीज से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट 10
(संदर्भ: अनुच्छेद 4.2; पृष्ठ 32)

विकास शुल्क की अवसूली के विवरण

क्र. सं.	म्यूनिसिपैलिटी का नाम	घोषित कालोनियों की संख्या	निर्मित क्षेत्र (वर्ग गज)	विकास प्रभारों की दर (₹ प्रति वर्ग गज)	राशि (₹ करोड़ में)
1.	नगरपालिका, सांपला (रोहतक)	5	2,98,821.60	30	0.90
2.	नगरपालिका, महम (रोहतक)	8	4,46,828.80	30	1.34
3	नगरपालिका, कलानौर (रोहतक)	10	3,06,130	30	0.92
4.	नगरपालिका, तरावड़ी (करनाल)	7	1,50,814.40	30	0.45
5.	नगरपालिका, लाडवा (कुरुक्षेत्र)	7	1,53,960.40	30	0.46
6.	नगरपालिका, पेहोवा (कुरुक्षेत्र)	15	4,00,606.80	30	1.20
7.	नगरपालिका, शाहबाद (कुरुक्षेत्र)	8	1,82,661.60	30	0.55
8.	नगरपरिषद, रेवाड़ी	5	4,11,400	50	2.06
9.	नगर निगम, फरीदाबाद	66	66,68,842.40	150	100.03
10.	नगर निगम, पानीपत	4	49,610	100	0.50
कुल		135	90,69,676		108.41

अर्थात् ₹ 108.41 करोड़

परिशिष्ट 11
(संदर्भ: अनुच्छेद 4.4; पृष्ठ 33)

एकत्रित नहीं किए गए सेवा कर के विवरण

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	अवधि	एकत्रित किए गए किराए की राशि	सेवा कर की लागू दर (% में)	एकत्रित नहीं किया गया सेवा कर
1.	नगर निगम, फरीदाबाद	2008-09	59.68	12.36	7.38
		2009-10	56.75	10.30	5.85
		2010-11	59.48	10.30	6.13
		2011-12	65.63	10.30	6.76
		2012-13	64.73	12.36	8.00
		2013-14	64.73	12.36	8.00
2.	नगर निगम, गुड़गांव	2013-14	71.16	12.36	8.80
3.	नगर परिषद, नरवाना	2012-13	41.91	12.36	5.18
		2013-14	46.60	12.36	5.76
4.	नगर परिषद, पलवल	2011-12	63.93	10.30	6.58
		2012-13	68.67	12.36	8.49
		2013-14	71.32	12.36	8.82
5.	नगर निगम, पंचकूला	2011-12	16.48	10.30	1.70
		2012-13	17.33	12.36	2.14
		2013-14	20.96	12.36	2.59
6.	नगर परिषद, थानेसर	2011-12	78.47	10.30	8.08
		2012-13	60.81	12.36	7.52
		2013-14	73.57	12.36	9.09
कुल			1,002.21	-	116.87

परिशिष्ट 12

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 34)

अमान्य चैकों तथा आवेष्टित राशि के म्यूनिसिपैलिटी - वार मामले दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	म्यूनिसिपैलिटी का नाम	अवधि	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	नगर निगम, गुडगांव	जुलाई 2011 से जून 2013	311	131.08
2.	नगर निगम, फरीदाबाद	2011-12	308	112.88
		2012-13	240	94.98
		2013-14	256	78.29
कुल			1,115	417.23

परिशिष्ट 13
(संदर्भ: अनुच्छेद 4.7; पृष्ठ 35)

स्वच्छता ठेकेदार को किए गए भुगतानों के म्यूनिसिपैलिटी – वार विवरण

क्र. सं.	म्यूनिसिपैलिटी का नाम	ठेकेदार का नाम	अवधि	राशि (₹ लाख में)
1.	नगर परिषद, रेवाड़ी	मैसर्ज दिनेश कुमार	अप्रैल 2011 से फरवरी 2012	66.34
		मैसर्ज दिनेश कुमार	अप्रैल 2013 से मार्च 2014	100.66
कुल (ए)				167.00
2.	नगर निगम, गुड़गांव	मैसर्ज डी.एस. एण्टरप्राईसिस	अप्रैल 2013 से मार्च 2014	188.04
3.		मैसर्ज आधार ग्रुप लिमिटेड	- सम -	91.94
कुल (बी)				279.98
सकल योग ए + बी				446.98

परिशिष्ट 14

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.11 (i); पृष्ठ 38)

**म्यूनिसिपैलिटीज को एफ.सी. - XIII अनुदानों के विलंब से अन्तरण के कारण
देय ब्याज दर्शाने वाली विवरणी**

राशि (₹ लाख में)

बेसिक अनुदान की पहली किस्त						
क्र. सं.	वर्ष	राशि (₹ लाख में)	भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी करने की तारीख	म्यूनिसिपैलिटीज को अन्तरण की तारीख	विलंब (दिनों में)	देय ब्याज की राशि
1.	2011-12	2,537.00	03 अक्टूबर 2011	25 अक्टूबर 2011	17	7.09 (6 प्रतिशत की दर पर परिकलित)
निष्पादन अनुदान की दूसरी किस्त						
2.	2012-13	1,209.95 766.82	06 अगस्त 2013	31 अगस्त 2013 08 अगस्त 2013	20	6.80 (10.25 प्रतिशत की दर पर परिकलित)
कुल देय ब्याज						13.89

परिशिष्ट 15

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.11 (ii); पृष्ठ 38)

एफ.सी. - XIII अनुदानों के संबंध में प्राप्त तथा लंबित उपयोगिता प्रमाण - पत्र दर्शाने वाली विवरणी

सामान्य बेसिक अनुदान

राशि (₹ लाख में)

बेसिक अनुदानों की पहली किस्त				बेसिक अनुदानों की दूसरी किस्त	
क्र. सं.	वर्ष	म्यूनिसिपैलिटीज को अंतरित अनुदानों की राशि	राशि जिसके लिए म्यूनिसिपैलिटीज से यू.सी. प्राप्त किए गए	म्यूनिसिपैलिटीज को अंतरित अनुदानों की राशि	राशि जिसके लिए म्यूनिसिपैलिटीज से यू.सी. प्राप्त किए गए
1.	2010-11	2,026.00	1,649.64	2,026.00	1,634.09
2.	2011-12	2,537.00	1,866.98	2,590.00	1,526.99
3.	2012-13	2,745.35	1,694.43	3,023.36	1,733.89
4.	2013-14	3,399.53	897.53	3,255.51	811.84
कुल		10,707.88	6,108.58 (57.05 प्रतिशत)	10,894.87	5,706.81 (52.38 प्रतिशत)
बेसिक अनुदानों की कुल राशि = ₹ 21,602.75 लाख					
म्यूनिसिपैलिटीज से प्राप्त किए गए कुल यू.सी. = ₹ 11,815.39 लाख (54.69 प्रतिशत)					

निष्पादन अनुदान

राशि (₹ लाख में)

निष्पादन अनुदानों की पहली किस्त				निष्पादन अनुदानों की दूसरी किस्त	
क्र. सं.	वर्ष	म्यूनिसिपैलिटीज को अंतरित अनुदानों की राशि	राशि जिसके लिए म्यूनिसिपैलिटीज से यू.सी. प्राप्त किए गए	म्यूनिसिपैलिटीज को अंतरित अनुदानों की राशि	राशि जिसके लिए म्यूनिसिपैलिटीज से यू.सी. प्राप्त किए गए
1.	2010-11	-	-	-	-
2.	2011-12	312.02	164.53	-	-
3.	2012-13	3,399.56	881.06	1,976.77	453.71
4.	2013-14	2,320.22	567.83	2,224.20	465.81
कुल		6,031.8	1,613.42 (26.75 प्रतिशत)	4,200.97	919.52 (21.89 प्रतिशत)
निष्पादन अनुदानों की कुल राशि = ₹ 10,232.77 लाख					
म्यूनिसिपैलिटीज से प्राप्त किए गए कुल यू.सी. = ₹ 2,532.94 लाख (24.75 प्रतिशत)					

अनुदानों की राशि का कुल योग (बेसिक अनुदान तथा निष्पादन अनुदान) = ₹ 31,835.52 लाख

अनुदानों का कुल योग (बेसिक अनुदान तथा निष्पादन अनुदान) राशि जिसके लिए म्यूनिसिपैलिटीज से यू.सी. प्राप्त किए गए = ₹ 14,348.33 लाख (45.07 प्रतिशत)

© भारत के
नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghry.nic.in